रजिस्टर्ड नं० HP/12/SML/2002.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

खण्ड : 50 | शिमला, शनिवार, 25 जनवरी, 2003/5 माघ, 1924 | संख्या : 43

विषय सूची

भाग-1	वैधानिक नियमों को छोड़कर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि	1666—1672
भाग-2	वैधानिक नियमों को छोड़कर विभिन्न विभागों के अध्यक्षों और जिला मैजिस्ट्रेटों द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि	1673—1674
भाग-3	अधिनियम, विधेयक और विधेयकों पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन, वैधानिक नियम तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, फाईनैन्शियल कमिश्नर तथा कमिश्नर आफ इन्कम टैक्स द्वारा अधिसूचित आदेश इत्यादि	1674—1681
भाग-4	स्थानीय स्वायत शासन, म्यूनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, नोटिफाइड और टाऊन एरिया तथा पंचायती राज विभाग	—
भाग-5	वैयक्तिक अधिसूचनाएं और विज्ञापन	1681—1694
भाग-6	भारतीय राजपत्र इत्यादि में से पुनः प्रकाशन	—
भाग-7	भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की वैधानिक अधिसूचनाएं तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी अधिसूचनाएं	—
—	अनुपूरक	—

25 जनवरी, 2003/5 माघ, 1924 को समाप्त होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित विज्ञप्तियां 'असाधारण राजपत्र, हिमाचल प्रदेश' में प्रकाशित हुईं :—

विज्ञप्ति की संख्या	विभाग का नाम	विषय
No. GAD (PA)-4(D)-29/92-IV, dated 21st January, 2003.	General Administration Department (Confidential & Cabinet)	Acceptance of resignations of Shri. Mansa Ram, Food & Supplies Minister and Sh Parkash Chaudhary, Minister of State for Rural Development in public interest.
No. GAD (PA)-4(D)-29/92-IV, dated 21st January, 2003.	-do-	Allocation of portfolios of Food & Supplies, Social & Women's Welfare and Rural Development & Panchayati Raj to Shri Roop Dass Kashyap MOS (Urban Development) and Shri Ravinder Singh Ravi MOS (Technical Education).

3538-राजपत्र/2003-25-1-2003—1,434.

मूल्य : 2.50 रुपये ।

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट

NOTIFICATIONS

Shimla-1, *the* 10*th January*, 2003

No. HHC Admn. 6(23) 74-XIII-998.—Hon'ble the Acting Chief Justice in exercise of the powers vested in him under rule 1.26 of H. P. Financial Rules, 1971, Volume-I, is pleased to declare the Sub Judge-*cum*-SDJM, Rampur Bushahr, as Drawing and Disbursing Officer in respect of the court of Senior Sub Judge-*cum*-CJM, Kinnaur and also the Controlling Officer for the purpose of T. A. etc. in respect of Class III and IV establishment attached to the aforesaid court under head "2014—Administration of Justice" during the leave period of Shri A. C. Thalwal SSJ/CJM, Kinnaur, *w. e. f.* 3-2-2003 to 22-2-2003 with permission to prefix special casual leave with effect from 20-1-2003 to 2-2-2003 and to suffix Sunday falling on 23-2-2003, or until he returns from leave.

Shimla-1, *the* 10*th January*, 2003

No. HHC GAZ/14-157/84-II-1008.— Hon'ble the Acting Chief Justice is pleased to grant 20 days earned leave with effect from 3-2-2003 to 22-2-2003 with permission to prefix special casual leave *w. e. f.* 20-1-2003 to 2-2-2003 and to suffix Sunday falling on 23-2-2003 in favour of Shri A. C. Thalwal, Senior Sub-Judge-*cum*-C.J.M., Kinnaur.

Certified that Shri Thalwal is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Thalwal, would have continued to hold the post of Sub Judge-*cum*-CJM, Kinnaur but for his proceeding on leave for the above period.

Shimla-1, *the* 13*th January*, 2003

No. HHC/GAZ-14-240/99-1189.—Hon'ble the Acting Chief Justice is pleased to grant 41 days earned leave with effect from 3-2-2003 to 15-3-2003 with permission to prefix special casual leave *w. e. f.* 20-1-2003 to 2-2-2003, and to suffix Sunday falling on 16-3-2003 in favour of Smt. Jyotsna Sumant Dadhwal, Sub Judge-*cum*-JMIC, Bilaspur.

Certified that Smt. Dadhwal is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Smt. Dadhwal would have continued to hold the post of Sub Judge-*cum*-JMIC, but for her proceeding on leave for the above period.

Shimla-1, *the* 13*th January*, 2003

No. HHC/Admn. 6(23)/74-XIII-1181.—Hon'ble the Acting Chief Justice in exercise of the powers vested in him under rule 1.26 of H. P. Financial Rules, 1971, Volume-I, is pleased to declare the Senior Sub Judge-*cum*-CJM, Bilaspur as Drawing and Disbursing Officer in respect of the court of Sub Judge-*cum*-JMIC, Bilaspur and also the Controlling Officer for the purpose of T. A. etc. in respect of class III and IV establishment attached to the aforesaid court under Head "2014—Administration of Justice" during the leave period of Smt. Jyotsna Sumant, Dadhwal Sub Judge-*cum*-JMIC, Bilaspur *w.e.f.* 3-2-2003 to 15-3-2003 with permission to prefix Special Casual leave with effect from 20-1-2003 to 2-2-2003 and to suffix Sunday falling on 16-3-2003 or until she returns from leave.

Shimla-1, *the* 14*th January*, 2003

No. HHC/Admn. 6 (24) 74-loose-1254.—The High Court of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested under Section 12(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 is pleased to appoint the Sub Judge-*cum*-SDJM, Rampur Bushahr as Additional Chief Judicial Magistrate for Civil and Sessions Division, Kinnaur, during the leave period of Shri A. C. Thalwal Senior Sub Judge-*cum*-CJM, Kinnaur, *w. e. f.* 3-2-2003 to 22-3-2003 or until he returns from leave.

By order,

Sd/-
Registrar General.

Office of the Advocate General, State of Himachal Pradesh, Shimla

NOTIFICATION

Shimla-1, *the* 9*th January*, 2003

No. 1-27/98-508.—In partial Modification of this office Notification of even No. 16155-56 dated 26th December, 2002 and pursuant to his applicatioon dated 23-12-2002, 17 days earned leave with effect from 16-12-2002 to 1-1-2003 is hereby sanctioned in favour of Shri Vivek Singh Thakur, Assistant advocate General with permission to avail 2nd Saturday and Sunday fell on 14th and 15th December, 2002.

Sd/-
Advocate General,
Himachal Pradesh.

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्मिक विभाग (नि0-II)

अधिसूचना

शिमला-2, 31 दिसम्बर, 2002

सं0 पर (ए0 पी0-बी0) बी0 (4)-2/98.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश श्री सुरेन्द्र मोहन कटवाल, अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के पक्ष में दिनांक 20-12-2002 से 31-12-2002 तक 12 दिनों के अर्जित अवकाश की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुरेन्द्र मोहन कटवाल, अध्यक्ष जिस स्थान से अवकाश पर गए हैं उनके उसी स्थान पर अवकाश से लौटने के उपरान्त कार्यग्रहण करने की सम्भावना है ।

आदेशानुसार,

राजेन्द्र भट्टाचार्य,
मुख्य सचिव ।

राजस्व विभाग (प्रौजैक्ट सैल)

अधिसूचनाएं

शिमला-2, 30 दिसम्बर, 2002

संख्या रैव (पी0 डी0) ए0 (4)-3/2001.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश जिला स्तरीय कोल बांध विस्थापित पुनर्वास एवं सलाहकार समिति को उपायुक्त मण्डी की अध्यक्षता में दो वर्ष की अवधि के लिए गठित करने के सहर्ष आदेश देते हैं, जिसका उद्देश्य कोल बांध के निर्माण से विस्थापित हुए व्यक्तियों के पुनर्वास व अन्य समस्याओं की देख-रेख करना है । इस समिति में निम्नलिखित गैर-सरकारी एवं सरकारी सदस्य होंगे :—

1. उपायुक्त मण्डी .. अध्यक्ष
2. भू-अर्जन अधिकारी (एम0 डी0 एम0) कोल बांध, सुन्दरनगर । .. सदस्य सचिव

3. खण्ड विकास अधिकारी, सुन्दरनगर .. सरकारी सदस्य
4. खण्ड विकास अधिकारी, करसोग ''
5. उप-निदेशक, उद्यान ''
6. उप-निदेशक, कृषि ''
7. डी0 एफ0 ओ0, सुन्दरनगर ''
8. डी0 एफ0 ओ0, करसोग ''
9. श्री प्रतीक तिवारी, उप-प्रबन्धक (राहत एवं पुनर्वास) कोल बांध । ''
10. श्री एम0 अहमद, ए0 ई0 (राहत एवं पुनर्वास) ''
11. उप-प्रधान, प्रभावित पंचायतें गैर-सरकारी सदस्य
12. बी0 डी0 सी0, सदस्य प्रभावित वार्ड ''
13. जिला परिषद्, सदस्य प्रभावित वार्ड ''
14. नगरपालिका आयुक्त, रोपा वार्ड, एम0 सी0, सुन्दरनगर । ''
15. श्री धर्मपाल, सदस्य जिला परिषद्, गांव व डा0 बगशाड, तहसील करसोग । ''
16. श्री जगत राम, सदस्य बी0 डी0 सी0 करसोग, निवासी गांव किदीपा, डा0 तत्तापानी, तहसील करसोग । ''
17. श्री नीलु पुत्र माखु, निवासी गांव रंडोल, डा0 तत्तापानी, तहसील करसोग । ''
18. श्री घमन्डू पुत्र श्री मालु, निवासी गांव रंडोल, डा0 तत्तापानी, तहसील करसोग । ''
19. श्री बिपतु राम पुत्र हिरदु राम, निवासी गांव व डा0 तत्तापानी, तहसील करसोग, जिला मण्डी । ''
20. श्री बेली राम पुत्र पदमु, निवासी स्नान, तहसील सुन्दरनगर । ''
21. श्री मेहर चन्द पुत्र सरनु, निवासी पंजोलद, तहसील सुन्दरनगर । ''
22. श्री गणपत पुत्र किरपा, निवासी रोपा, तहसील सुन्दरनगर । ''
23. श्री चेत राम पुत्र सन्त राम, निवासी क्यान, तहसील सुन्दरनगर । ''
24. श्री सुख राम पुत्र टीटलु, निवासी अहन, तहसील सुन्दरनगर । ''
25. श्री परस राम पुत्र राम सरन, निवासी जरटू, तहसील सुन्दरनगर । ''

---

2. सरकारी सदस्य उन पर लागू भत्ता नियमानुसार लेने के हकदार होंगे ।

3. उपरोक्त समिति के गैर-सरकारी सदस्य समिति से सम्बन्धित कार्य के लिए की गई यात्रा/माईलेज/दैनिक भत्ता लेने के हकदार होंगे ।

4. गैर-सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्तों तथा दैनिक भत्तों का खर्चा मुख्य शीर्ष "2053—जिला प्रशासन—03—जिला स्थापना-01 सामान्य स्थापना यात्रा भत्ता से देय होगा" ।

5. जिलाधीश मण्डी गैर-सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्ता बिलों के नियन्त्रक अधिकारी होंगे तथा यात्रा भत्ता बिलों पर प्रतिहस्ताक्षर करेंगे ।

शिमला-17002, 30 दिसम्बर, 2002

संख्या रैव (पी0डी0) ए0 (4)-3/2001.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश जिला स्तरीय कोल बांध विस्थापित पुनर्वास एवं सलाहकार समिति को उपायुक्त शिमला की अध्यक्षता में दो वर्ष की अवधि के लिए गठित करने के सहर्ष आदेश देते हैं, जिसका उद्देश्य कोल बांध के निर्माण से विस्थापित हुए व्यक्तियों के पुनर्वास व अन्य समस्याओं की देख-रेख करना है । इस समिति में निम्नलिखित गैर-सरकारी एवं सरकारी सदस्य होंगे :—

1. उपायुक्त शिमला .. अध्यक्ष
2. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (एल0 एण्ड ओ0) । .. उपाध्यक्ष
3. उप-मण्डाधिकारी (सी) शिमला (ग्रार) .. सदस्य-सचिव
4. वन मण्डलाधिकारी, शिमला .. सरकारी सदस्य
5. वन मण्डलाधिकारी (वन प्राणी), शिमला ''
6. जिला कृषि अधिकारी, शिमला ''
7. कार्यपालक अभियन्ता, हि0 प्र0 लो0 नि0 वि0, कुमारसैन । ''
8. कार्यपालक अभियन्ता (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य) सुन्नी । ''
9. कार्यपालक अभियन्ता (हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत निगम), सुन्नी । ''
10. तहसीलदार, सुन्नी ''
11. श्री ओम प्रकाश, प्रधान, ग्राम पंचायत जुनी गैर-सरकारी सदस्य
12. श्री संजय कुमार, प्रधान, ग्राम पंचायत बरयाना ''
13. श्रीमती निला वती, ग्राम पंचायत छीबरी ''
14. श्री सुरेश कुमार, प्रधान, ग्राम पंचायत मकरोड़ी ''
15. श्री नरेश कुमार, अध्यक्ष, नगर पंचायत सुन्नी ''
16. श्री जय चन्द सागर, निवासी पलयाड़, तहसील सुन्नी ''
17. श्री जय सिंह, निवासी अणु ''
18. श्री गंगा राम, निवासी गांव बरयाणा ''
19. श्री रोशन लाल, निवासी मकरोड़ी ''
20. श्री अनन्त राम, निवासी सुन्नी ''
21. श्री श्याम चन्द्र, निवासी सुन्नी ''
22. श्री दीप राम, निवासी कंडोल ''
23. श्रीमती निर्मला देवी, निवासी मडरेच ''
24. श्रीमती कलावती, निवासी बरयाना ''
25. श्रीमती महेशु देवी, निवासी अणु ''
26. श्रीमती खिमी देवी, निवासी मडरेच ''
27. श्री युसुफ, निवासी कियारी ''
28. श्री वासु देव, निवासी सुंगना, तहसील सुन्नी ''
29. श्री कुशाल राज गर्ग, सदस्य जिला परिषद्, सुन्नी खण्ड, जिला शिमला । ''

---

2. सरकारी सदस्य उन पर लागू भत्ता नियमानुसार लेने के हकदार होंगे ।

3. उपरोक्त समिति के गैर-सरकारी सदस्य समिति से सम्बन्धित कार्य के लिए की गई यात्रा/माईलेज/दैनिक भत्ता लेने के हकदार होंगे ।

4. गैर-सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्तों तथा दैनिक भत्तों का खर्चा मुख्य शीर्ष "2053—जिला प्रशासन-03—जिला स्थापना—0 सामान्य स्थापना यात्रा भत्ता से देय होगा ।

5. जिलाधीश, शिमला गैर-सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्ता बिलों के नियन्त्रक अधिकारी होंगे तथा यात्रा भत्ता बिलों पर प्रतिहस्ताक्षर करेंगे ।

आदेशानुसार,

हस्ताक्षरित/-
वित्तायुक्त एवं सचिव (राजस्व) ।

FOREST DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 23rd August, 2001

No. FFE-C(9)1/2001.—The Governor, Himachal Pradesh is peased to promulgate the following scheme for sustainable management of forest resources in the State in collaboration with the local communities namely:—

1. This scheme shall be called Sanjhi Van Yojna Scheme, 2001.

2. It shall come into force with immediate effect.

3. The existing Sanjhi Van Yojna Scheme, 1998, the Parishram Hamara, Van Hamara Scheme, 2000 and the Apna Van, Apna Dhan Scheme, which was to be launched during the year 2001 shall stand clubbed with the Sanjhi Van Yojna Scheme, 2001.

4. Objective:

The present scheme shall have the following objectives:—

(*i*) Involvement of grass root level institutions such as Gram Panchayats, Mahila Mandals, Yuvak Mandals, Ex-servicemen's bodies, Schools, Village, Forest Development Societies (VFDSs), User Groups, other Community Based Organisations(CBOs) and NGOs in sustainable management of forest resources.

(*ii*) Grant of 100% income from plantations to the VFDSs and Panchayats.

(*iii*) Grant of total usufruct rights to the VFDSs.

(*iv*) Regeneration of degraded forest areas and conservation & sustainable use of forests through community involvement.

(*v*) Involvement of local communities in the choice of species to be planted under this scheme.

(*vi*) Creation and enhancement of social, physical and financial capital of the participating communities for poverty reduction.

(*vii*) Special emphasis on involvement of women in the scheme.

(*viii*) Address problem of rural un-employment by utilizing degraded forest land for large scale plantations.

(*ix*) Establish linkage between Food for Work Programme and the present scheme by making wage payments in the shape of .....the scheme.

(*x*) Increasing productivity of the Forest areas by improvement of nursery stock and adoption of mixed plantations.

(*xi*) Training of forest staff, VFDS members and CBOs/NGOs for facilitating and strengthening community participation.

(*xii*) Gradually empower local communities and local level institutions to become more proactive in sustainable forest management.

(*xiii*) To help VFDSs achieve financial viability and sustainability by introducing proper mix of short and long duration croping patterns as a short and long term objective to ensure their continued participation in the scheme.

5. Strategy:

The scheme shall be based on the following five principles of Participatory Forest Management:—

1. Recognise that participatory processes are critical to sustainable Forest Management in the State.
2. Recognise that to institutionalise participation, strengthening of local institutions like the Panchayats, Village Forest Development Societies, User groups etc., and the Forest Department is essential.
3. Recognise the link between rural poverty reduction and the sustained and increasing availability of forest resources and access to them for the rural communities particularly the poor, to target pockets of poverty in the state.
4. Recognise that the role of the HP Forest Deptt. as the main facilitating agency for PFM, shall need to be complemented by a regular, equitable participatory system through which stakeholders on their own meet and debate strategic issues, consider optimal solutions and form partnerships. In strengthening the latter, the engagement of Non Government Organisations (NGOs) and Community Based Organisations (CBOs) would be encouraged.
5. Recognise that Gender issues form a thematic concern in PFM. Thus a gender sensitive approach shall be adopted within the HPFD and amongst the organised community groups involved with PFM.

6. Implementation :

The scheme shall be governed by the PFM Rules, 2001 promulgated *vide* Notification No. Fts. II(B) 15-10-87, dated 23-8-2001.

7. Coverage :

(*i*) To begin with the existing 364 VFDSs and 153 VFDCs formed earlier under the Sanjhi Van Yojna and the Himachal Pradesh Forestry Project in Kullu and Mandi shall be brought under the umbrella of this scheme.

(*ii*) The scheme shall be extended to other areas subsequently.

(*iii*) In tribal areas of the state the scheme shall be implemented from the current financial year *i. e.* 2001-2002.

8. Process Approach :

Since Participatory Forest Management entails a process approach, the scheme shall not be target driven. For the long-term success and the sustainability of the village level institutions, it is important that proper and adequate methods of community organisation and management are followed. Thus , normally in the first year where the scheme is introduced, major emphasis will be on the systematic and sequential formation of VFDSs, training of staff, CBOs and community members. Towards the end of the first year, a well documented but simple and understandable micro-plan shall be made ready for approval and implementation during the next year. The procedure for approval of micro-plans as laid out in the PFM processes shall be strictly followed. The Forest Department shall also begin creation extension of nurseries in the first year so that plants are ready in the second year.

9. Funding :

(*i*) The funding under the scheme to the VFDSs for works to be carried out by them shall be made in the form of Grant-in-Aid (GIA) to the concerned society by the Divisional Forest Officer (DFO) concerned.

(*ii*) The Grant-in-Aid shall be governed and regulated as per the GIA Rules notified *vide* Notification No. FFE-B-(G)9-6/99, dated 31-5-2000.

(*iii*) The GIA shall be deposited in the bank account of the VFDS and unspent funds shall be allowed to roll over to the next financial year.

10. Contribution by the VFDSs :

On the pattern of *Vikas Mein Jan Sahyog* policy of the Government each VFDS shall be required to make a cash contribution of 15% of the annual outlay under the approved micro-plan. This contribution can be made in instalments during the year provided each installment is 15% of the GIA being released to the VFDS at one time. In the case of plantation work this contribution can be in the form of *Shramdan* and deducted from the wage bill for the plantation work

11. Maintenance of Assets :

The maintenance of physical assets created under the scheme shall be the responsibilty of the VFDS concerned. For plantations however , the Forest Department shall continue to supply planting material to the VFDS on demand, free of cost for three years including the year of plantation. Thereafter for any further supply of plants price will be charged from the VFDSs.

12. Income Generation Activities :

(*i*) In order to enhance the economic take of rural communities in the conservation and sustainable utilization of forest resources as well as to create means of income for the VFDS and its members, forestry related income generation activities shall be promoted under the scheme. Such activities may include water harvesting and its use for irrigation drinking purposes. *In situ or Ex situ* growing of medicinal plants of high economic value within the selected areas or even on private lands. Value addition to medicinal raw drugs through simple semi processing etc., and training in these. Introduction of improved grasses and development of village pastures High density fuelwood fodder plantations. These examples are illustrative only and suitable income generation activities can be adopted as per the local conditions.

(*ii*) The income generation activities however, shall commence only in the second or third year of the micro-plan. The proportion of funds earmarked to support income generaion activities shall be as enumerated in the subsequent paragraphs.

13. Input Sharing Arrangement :

(*i*) The HPFD shall encourage social fencing by the VFDSs as a matter of policy. Wherever necessity of physical fencing arises it shall be done by using local materials like bushes etc. In order to encourage social fencing funds that are normally spendt on fencing, including cost of materials, shall be made over to the VFDSs. The VFDS shall then be free to use this money for protection of the plantations as they deem fit. (*ii*) Tools implements and other material required for carrying out activities under the approved micro-plans shall be arranged by the concerned VFDS.

14. Usufruct Sharing :

(*i*) 100% of forest produce including Non-Timber Forest Produce (NTFP) and all intermediate harvest from the closed area(s) shall go to the VFDS.

(*ii*) 75% of the final harvest shall go to the VFDS and 25 % to the Panchayat concerned. However out of 75% share of the VFDS from the final harvest, 40% shall be earmarked for regeneration conservation activiities within the closed area(s) of that VFDS.

15. Norm for allocation of budget :

The statement of Annual Plan of Operations (APO) under various micro plans shall be submitted by the DFOs to their respective Conservators, who shall scrutinize these APOs *vis-a-vis* Micro plans submited to them and shall allot the budget accordingly. Component wise allocations shall be made as per the ratio proportions given in the following table. However, in the first and second year of the execution of the scheme, emphasis shall be given on the initial processes of establishing nurseries, preparation of the micro-plants, soil and moisture conservation measures, workshops, and training to ensure sustanability. Accordingly, in the first two years of the scheme, the budget allocation shall be at variance from the norms given in the table below:—

Table Showing Norms for Allocation of Budget:

Sl. No.	Activity	PROPORTION OFBUDGET
A Micro Plan (MP) 80%.	Preparation of MP	Rs. 5000/- for each MP
(of this 15% is to be contributed by the VFDS)	Plantation incl. Grasses & NTFPS.	60%
	Soil & Water conservation	15%
	Income Generation Activities.	25%
B Departmental Expenditure 20%.	Establishment of Nursery	50%
	Training	20%
	Workshops	10%
	Monitoring	10
	Contingencies	10%

By order,

AVAY SHUKLA,
F. C.-cum-Secy. (Forests).

Shimla-2, the 15th December, 2001

No. Fts. (A)4-10/82-II.—In exercise of the powers vesed in him under Section 4 of Wild Life (Protection) Act, 1972, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint Pr. Chief Conservator of Forests (Wild life) H. P. as Chief Wildlife Warden H.P. in the public interest with immedate effect.

Shimla-2 the 7th January, 2002

No. FFE-A(R)6-3/95(Loose).—In contnuation of this department's Notification No. FFE-A(B)6-6/96(Estt.)-II (Loose) dated 20-10-2001, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order posting of following HPFS officers (newly promoted) in the public interest with immediate effect as under:—

Sl. No.	Name of the officer	Place of Posting
	S/Sh. :	
1.	Rajinder Kumar Kaushal	ACF Dehra.
2.	Bal Krishan	ACF WL. Nagrota Surian
3.	ChamanLal	ACF Seraj
4.	Swadesh Kumar Dhiman	ACF Nahan
5.	Roop Ram	ACF Theog
6.	Gopal Singh Thakur	ACF WP (Soil) Shimla
7.	Amar Singh Thakur	Project Imp. Co-ordinator IGCP. Palampur.
8.	Sikander Singh Patial	ACF Karsog with addl. charge of. AWPO Karsog.
9.	Bansi Lal Verma	ACF Rajgarh
10.	Lalit Chand Katoch	ACF Shimla
11.	Bhola Ram Negi	ACF Spiti
12.	Vinod Kumar Sharma	ACF Legal Cell O/o PCCF.

By order.
Sd/-
F. C.-cum-Secretary.

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचनाएं

यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामतः* भूमि ली जानी अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिये अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू-अर्जन, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि का रेखांक समाहर्ता भू-अर्जन, लोक निर्माण विभाग, मण्डी, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

*गांव मझैठल, तहसील सदर, जिला मण्डी में पम्प हाऊस उठाऊ पेयजल योजना टिकरी के निर्माण के लिए।

संख्या सिंचाई 11-10/2002-मण्डी.

शिमला-2, 6 जनवरी, 2003.

विस्तृत विवरणी

जिला : मण्डी तहसील : सदर

गांव	खसरा नं0	क्षेत्र (बीघों में)
मझैठल/226	881/1	0 01 16

*गांव सियांह, तहसील सदर, जिला मण्डी में वाटर टैंक के निर्माण के लिए।

संख्या सिंचाई 11-12/2002-मण्डी.

शिमला-2, 6 जनवरी, 2003.

सियांह/232	415/1	0 03 15

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
सचिव।

बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला, 4 जनवरी, 2003

संख्या विद्युत-छ-(5)8/2002.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय जल विद्युत परियोजना निगम समिति (एन0 एच0 पी0 सी0) जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सी0 सी0) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल मुलाखर, उप-तहसील होली, जिला चम्बा (हि0 प्र0) में चमेरा जल विद्युत परियोजना चरण-3 के जलाशय क्षेत्र हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है। अतएव: एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के लिए यह घोषणा की जाती है और भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, चमेरा जल विद्युत परियोजना, करीयां, चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।

3. भूमि के रेखांक का भू-अर्जन समाहर्ता, चमेरा जल विद्युत परियोजना, करीयां, चम्बा, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

विवरणी

जिला : चम्बा उप-तहसील : होली

मुहाल	खसरा नं0	क्षेत्र बी0 वि0 विस्वांसी
मुलाखर (130)	7	0 00 16
	9	0 01 00
किस्ता ..	2	0 01 16

शिमला, 4 जनवरी, 2003

संख्या विद्युत-छ-(5) 28/2001.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड जोकि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सी0 सी0) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल रेऊकलधार, तहसील औट, जिला मण्डी में सरजशाफट के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करना अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त परियोजना के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए यह घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, हि0 प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड, मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।

3. भूमि के रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, हि0 प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड, मण्डी (हि0 प्र0) के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

विवरणी

जिला : मण्डी तहसील : औट

मुहाल 1	खसरा नं0 2	रकबा (बीघों में) 3
रेऊकलधार	271/232/1	0 12 07
	233/225/1	0 16 05
कुल किस्ता ..	2	1 08 12

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
सचिव।

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 3 जनवरी, 2003

संख्या पी0 डी0 डब्ल्यू0(बी)ए(7) 1-75/2002.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव परनाल, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर में बम पुल सम्पर्क बनोहा पन्तेहड़ा सड़क के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।

3. भूमि का रेखांक भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग मण्डी, के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला : बिलासपुर • तहसील : घुमारवीं

गांव	खसरा नं०	क्षेत्र बीघा	बिस्वा	
1	2	3		
पनालर	207/24/1	0	00	09
	223/25/1	0	01	0●
	292/25/28/1	0	16	00
	31/1	0	01	00
	32/1	0	03	00
	285/282/33/2	1	00	00
	286/282/33/1	0	00	08
किता	7	2	01	17

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
प्रधान सचिव।

HIMACHAL PRADESH VIDHAN SABHA SECRETARIAT SHIMLA-171 004

NOTIFICATIONS

Shimla-4, the 7th August, 2002

No. 6-62/81-VS.—The Hon'ble Speaker, Himachal Pradesh Vidhan Sabha is pleased to declare that Shri Prakash Chand, has successfully completed his probation period on the post of Reporter (Gazetted Class-I) in the pay scale of 7220-11660 in accordance with the instructions contained in H. P. Government (Personnel Department) Office Memo No. Per. (AP-II)B (15)2/75-PT, dated 14-6-1994.

Shimla-4, the 7th August, 2002

No. 6-62/81-VS.—The Honb'ble Speaker, Himachal Pradesh Vidhan Sabha is pleased to declare that Ms. Kalpana Sharma, has successfully completed her probation period on the post of Reporter (Gazetted Class-I) in the pay scale of 7220-11660 in accordance with the instructions contained in Himachal Pradesh Government (Personnel Department) Office Memo No. Per. (AP-II)B(15)2/75-PT, dated 14-6-1994.

Shimla-4, the 26th August, 2002

No. 6-62/81-VS.—The Hon'ble Speaker, Himachal Pradesh Vidhan Sabha is pleased to declare that Shri Jagdish Kumar, has successfully completed his probation period on the post of Reporter (Gazetted Class-I) in the pay scale of 7220-11660 in accordance with the instructions contained in Himachal Pradesh Government (Personnel Department) Office Momo No. Per. (AP-II)B(15)2/75-PT, dated 14-6-1994.

Shimla-4, the 16th November, 2002

No. 6-62/81-VS.—The Hon'ble Speaker, Himachal Pradesh Vidhan Sabha is pleased to declare that Shri Darshan Kumor, has successfully completed his probation period on the post of Reporter (Gazetted Class-I) in the pay scale of 7220-11660 in accordance with the instructions contained in Himachal Pradesh Government (Personnel Department) Office Memo No. Per. (AP-II)B(15)2/75-PT, dated 14-6-1994.

Shimla-4 the 16th November 2002

No. 6-62/81-VS.—The Hon'ble Speaker, Himachal Pradesh Vidhan Sabha is pleased to declare that Shri Anit Gupta, has successfully completed his probation period on the post of Reporter (Gazetted Class-I) in the pay scale of 7220-11660 in accordance with the instructions contained in Himachal Pradesh Government (Personnel Department) Office Memo No. Per. (AP-II)B(15)2/75-PT, dated 14-6-1994.

Sd/-
Secretary.

Shimla-171 004, the 5th September, 2002

No. 6-8-81-VS-Vol.-III.—In exercise of the powers vested in him under Sub Rule (2) of Rule 3 of the Himachal Pradesh Vidhan Sabha Secretariat (Recruitment & Conditions of Service) Rules, 1974, the Speaker, Himachal Pradesh Vidhan Sabha has been pleased to amend the 'First Schedule' of the Rules *ibid* as amended *vide* GAD notification number GAD-C(GI)2-10/96, dated 1st December, 1999 *vide* Annexure to this order showing therein existing strength of permanent and temporary posts including new categories of posts in the revised scales of pay.

By order.

Sd/-
Secretary,
Himachal Pradesh Vidhan Sabha, Shimla.

THE FIRST SCHEDULE

(*See Rule*-3)

Sl. No.	Name of Post	Pay Scale	No. of Posts Permanent	Temporary	Total
1	2	3	4	5	6
Class-I—43 :					
1.	Secretary	14300-400-15900-450-18600	1	—	1
2.	Joint Secretary	13500-400-15900-450-16800	—	1	1
3.	Special Private Secretary	12000-375-13500-400-15500	1	—	1
4.	Deputy Secretary	12000-375-13500-400-15500	2	—	2

1	2	3	4	5	6
5.	Editor of Debates	12000-375-13500-400-15500	—	1	1
6.	Under Secretary	10025-275-10300-340-12000-375-13500-400-15100.	4	—	4
7.	Chief Reporter	10025-275-10300-340-12000-375-13500-400-15100.	1	—	1
8.	Senior Reporter	10025-275-10300-340-12000-375-13500-400-15100.	6	—	6
9.	Deputy Controller (F. & A).	7880-220-8100-275-10300	1	—	1
10	Section Officer	7220-220-8100-275-10300-340-11660	7	1	8
11.	Private Secretary	7220-220-8100-275-10300-340-11660	3	—	3
12.	Research Officer	7220-220-8100-275-10300-340-11660	—	1	1
13.	Documentation Officer	7220-220-8100-275-10300-340-11660	1	—	1
14.	Reporter	7220-220-8100-275-10300-340-11660	6	6	12
Class-II—4 :					
15.	Personal Assistant	6400-200-7000-220-8100-275-10300-340-10640.	3	—	3
16.	Superintendent Grade-II	6400-200-7000-220-8100-275-10300-340-10640.	1	—	1
Class-III—102 :					
17.	Superintendent (Ex-Cadre)	5800-200-7000-220-8100-275-9200 [8 posts of Supdt. (Ex-Cadre) with equal No. of posts of Senior Assistant held in abeyance].	8	—	8
18.	Senior Assistant	5800-200-7000 -220-8100-275-9200	15	3	18
19.	Sr. Scale Stenographer	5800-200-7000-220-8100-275-9200	3	—	3
20.	Jr. Scale Stenographer	4400-150-5000-160-5800-200-7000	8	—	8
21.	(*a*) Jr. Assistant	4400-150-5000-160-5800-200-7000 (50% posts of Clerks as on 1-1-1996)			
	(*b*) Clerks	3120-100-3220-110-3660-120-4160-140-4400-150-5000-160-5160 (with initial start of Rs. 3220/-).	27	11	38
22.	Sr. Translator	5800-200-7000-220-8100-275-9200	2	—	2
23.	Proof Reader	5000-160-5800-200-7000-220-8100	1	—	1
24.	Jr. Translator	4400-150-5000-160-5800-200-7000	2	—	2
25.	Research Assistant	5800-200-7000-220-8100-275-9200	1	—	1
26.	Librarian	5800-200-7000-220-8100-275-9200	2	—	2
27.	Assistant Librarian	4020-120-4260-140-4400-150-5000-160-5800-200-6200.	1	—	1
28.	Driver	3330-110-3660-120-4260-140-4400-150-5000-160-5800-200-6200	7	2	9
29.	Book Binder	3120-100-3220-110-3660-120-4160-140-4400-150-5000-160-5160.	1	—	1
30.	Watch & Ward Assistant	3120-100-3220-110-3660-120-4160-140-4400-150-5000-160-5160.	6	2	8
Class-IV—68 :					
31.	Gestetner Operator	2820-100-3220-110-3660-120-4260-140-4400.	1	—	1
32.	Daftri	2820-100-3220-110-3660-120-4260-140-4400.	3	—	3
33.	Jamadar	2720-100-3220-110-3660-120-4260.	2	—	2
34.	Library Attendant	2720-100-3220-110-3660-120-4260	3	—	3
35.	Other Class-IV (Peon, Frash, Chowkidar, Sweeper, Mali & Cleaner).	2620-100-3220-110-3660-120-4140 (with initial start of Rs. 2620/-.	52	7	59
		Total ..	182	35	217

*Amended *vide* notification No. 6-8/81-VS-Vol-III, dated 5th September, 2002.

शिमला-4, 23 नवम्बर, 2002

नं० 6-30/80-वि० स०.—अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश विधान सभा, सहर्ष आदेश देते हैं कि श्री तरसेम कुमार वशिष्ठ, उप-सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय, अधिशासित को आयु पूर्ण करने पर दिनांक 28-2-2003 (अपराह्न) को एफ० आर० 56 के उपबन्धों के अन्तर्गत सेवानिवृत होंगे।

हस्ताक्षरित/-
सचिव।

भाग-2—वैधानिक नियमों को छोड़कर विभिन्न विभागों के अध्यक्षों और जिला मैजिस्ट्रेटों द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि

DIRECTORATE OF CO-OPERATION HIMACHAL PRADESH

ORDER

Shimla-9, the 3rd January, 2003

No. 6-68/84-Co-op (T&M).—In exercise of the powers vested in me under Rules 39 of the H.P. Co-operative Societies Rules, 1971, I, S.K.B.S. Negi, Registrar, Co-operative Societies H.P. do hereby nominate Smt. Indu Kashyap as Director in the Board of Director of the Kailash Co-operative Marketing and Consumer Federation Ltd. with immediate effect against Scheduled Castes.

S. K. B. S. NEGI,
Registrar Co-perative Societies.

कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला (हि० प्र०)

कारण बताओ नोटिस

धर्मशाला, 7 जनवरी, 2003

संख्या पंच-के० जी० आर०-ई० (15) 8/91.—इस कार्यालय को खण्ड विकास अधिकारी, लम्बागांव ने अपने पत्र संख्या 1523, दिनांक 24-10-2002 के अन्तर्गत सूचित किया जाता है कि भूतपूर्व उप-प्रधान श्री मातवर सिंह राणा, ग्राम पंचायत दगोह द्वारा मु० 43081/- रु० पंचायत निधि का दुरुपयोग किया गया है जिसकी पुष्टी उप-निरीक्षक (पंचायत) द्वारा दिनांक 6-7-2001 को की गई जांच रिपोर्ट व श्री प्रदीप कुमार ड्राफ्समैन व पंचायत निरीक्षक द्वारा दिनांक 14-8-2002 को मौका पर जाकर निर्माण कार्यों का मूल्यांकन रिपोर्ट से भी हुई है जिसके अनुसार निम्नलिखित कार्यों में राशि का दुरुपयोग किया गया है :—

क्र० सं०	निर्माण कार्य का नाम	व्यय राशि	मूल्यांकन राशि	बसूली योग्य राशि
1.	निर्माण रास्ता काहण	13894	2754	11140
2.	निर्माण रास्ता गढियाड़ा	9856	9039	817
3.	निर्माण रास्ता रेनशैल्टर से मिशन चन्द के घर तक।	15075	4673	10402
4.	निर्माण कच्चा रास्ता पुनी चन्द के घर से भुलाणा तक	9125	987	8138
5.	निर्माण रास्ता दगोह गठा से शमशानघाट तक	12957	373	12584
		60907	17826	43081

क्योंकि इस प्रकार उक्त कार्यों पर कुल 60907/- रु० व्यय दर्शाया गया है जबकि मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार मु० 17826/- रु० व्यय बनता है इस प्रकार प्रधान द्वारा मु० 43081/- रु० पंचायत निधि का दुरुपयोग किया है जिसकी पुष्टि ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी के अतिरिक्त पंचायत सदस्यों द्वारा भी अपने ब्यानों में की गई है।

अतः हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145 (1)(ख) (2) तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 142 (क) के अन्तर्गत मैं, हेम राज शर्मा, जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, श्री मातवर सिंह राणा, प्रधान, ग्राम पंचायत दगोह, विरुद्ध खण्ड लम्बागांव को कारण बताओ नोटिस जारी करता हूं। आपका उत्तर इस कार्यालय में 10 दिनों के भीतर-भीतर खण्ड विकास अधिकारी लम्बागांव के माध्यम से पहुंच जाना चाहिए अन्यथा यह समझा जाएगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहना है तथा आगामी उचित कार्यवाही हेतु यह कार्यालय विवश होगा जिसके लिए आप उत्तरदाई होंगे।

हेम राज शर्मा,
जिला पंचायत अधिकारी,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला।

Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission Keonthal Commercial Complex Khalini, Shimla-171 002

OFFICE ORDER

Shimla-2, the 4th January, 2003

No. HPERC/Secy 303/PC/AO/RM/2002-52-55.—Sanction for 19 days earned leave from 31-12-2002 to 18-1-2003 along with suffix falling on 19-1-2003 is hereby accorded in favour of Shri P. N. Bhardwaj, Executive Director (TA).

As required under F.R. 26 (b) (*ii*), it is certified that Shri P. N. Bhardwaj, Executive Director (TA) would have continued to officiate as Executive Director (TA), but for his proceeding on above earned leave for the above period.

Shri Ashok Mahajan, ED (TFA) will look after the duties of ED (TA) during his absence or leave in addition to his own work.

By order,

Sd/-
Chairman HPERC.

Office of the District Magistrate, District Solan (H. P.).

ORDER

Solan, the 4th January, 2003

No. HC/XX-4/99-I-54-67.—WHEREAS, Himachal Pradesh Bus Stands Management & Development Authority Shimla has constructed Bus Stand at Solan on the Bye Pass which has been made functional *w.e.f.* 21-12-2002 for the convenience of general public.

Now, therefore, in exercise of the powers vested in me under section 117 of Indian Motor Vehicle Act, 1988 and all other powers enabling me in this behalf, I, Bharat Khera, I.A.S. District Magistrate, Solan District, Solan, Himachal Pradesh hereby order the following regulations for the traffic to use the newly constructed Bus Stand :

1. All buses going outside Solan district except District of Shimla and Rajgarh road of Sirmaur district shall originate from new Bus Stand.

2. All lenses going downwards from Solan towards Kalka road except those on Subhathu road shall originate from new Bus stand.

3. All buses plying between Shimla side and Kalka side on the Shimla-Solan-Kalka National High way shall have to enter the new Bus Stand.

These orders will come into force with immediate effect.

BHARAT KHERA,
District Magistrate, Solan,
District Solan.

Office of the Assistant Registrar Co-operative, Societies Una, District, Una, Himachal Pradesh

OFFICE ORDER

Una, the 3rd January, 2002

No. 2 AB/Insp. H.Q. 4578.—Whereas The Saloh Government High School Co-op. Supply store Ltd. Saloh was registered on 3-6-76 *vide* No. 384 and brought under liquidation *vide* ARCS Office letter No. 3613-17. dated 1-3-2000.

Whereas efforts were made by the liquidator of the said society for the revival of that Society during the liquidation period but in vain. The assets and liabilities of the society has been disposed of as per latest audit note and Inspection note of the society.

Whereas the liquidator of the said society has submitted the final report and Inspector Co-operative Societies Haroli has also recommended for the cancellation of the registration of the society *vide* his office letter No. 84, dated 28-12-2002.

Now, therefore, I, Kishori Lal Assistant Registrar Co-operative Societies, Una, District Una (H.P.) exercising the power of Registrar Co-operative Societies (H.P.) Shimla under section 87 (2) of the H.P. Co-operative Societies Act 1968 (Act, No. 3 of 1969) do hereby order the cancellation of registration of the said Society today on.....

Sd/-

Assistant Registrar,
Co-operative Societies.

भाग-3.—अधिनियम, विधेयक और विधेयकों पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन, वैधानिक नियम तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, फाईनैंशियल कमिश्नर तथा कमिश्नर आफ इन्कम टैक्स द्वारा अधिसूचित आदेश इत्यादि

कार्मिक विभाग (नियुक्ति-II)

अधिसूचना

शिमला-2, 30 अक्तूबर, 2002

संख्या पर(एपी-बी)बी(2)-11/98.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 318 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में लिपिक, वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध "क" के अनुसार भर्ती एवं प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, लिपिक वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2002 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. निरसन और व्यावृत्तियां.—(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या पर(एपी-II)बी(2)-4/75 तारीख 12-9-1975 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, क्लास-III सर्विसज/पोस्टज (नान-गैजटिड) रैकरुटमैंट एवं प्रमोशन रूल्ज, 1975 का एतद् द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप-नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप से की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,

हर्ष गुप्ता,
मुख्य सचिव।

उपाबन्ध क"

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में लिपिक वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती एवं प्रोन्नति नियम

1.	पद का नाम	लिपिक
2.	पदों की संख्या	14 (चौदह)
3.	वर्गीकरण	वर्ग-III (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं
4.	वेतनमान	रुपये 3120-100-3220-110-3660-120-4260-140-4400-150-5000-160-5160 रुपए (प्रारम्भिक प्रारम्भ 3220/-रु० के साथ)।
5.	चयन पद अथवा अचयन पद	अचयन
6.	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु।	18 से 45 वर्ष :

परन्तु सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा पर नियुक्त किए गए पहले से सरकार की सेवा में रत व्यक्तियों सहित अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिये पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिये उच्चतम आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारीवृन्द को नहीं दी जायेगी जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

(1) सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद (पदों) को, यथास्थिति, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, विज्ञापित या नियोजनालयों को अधिसूचित किए जाते हैं।

(2) अन्यथा सुविहित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेगी।

7. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिणक और अन्य अर्हताएं ।	(क) अनिवार्य : (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में मैट्रिक पास या 10+2 की परीक्षा पास या इसके समकक्ष । (ii) अंग्रजी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति रखता हो । (ख) वांछनीय अर्हताएं : हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।	
8. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	आयु : लागू नहीं शैक्षणिक अर्हताएं : जैसी कि नीचे स्तम्भ संख्या 11 में विहित की गई है ।	
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा कि सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें ।	
10. भर्ती की पद्धति—भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता ।	(i) 90 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा । (ii) 10 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ।	
11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है ।	(i) वर्ग-4 कर्मचारियों में से जो मैट्रिक पास या मैट्रिक के अंग्रेजी के एक विषय सहित हिन्दी रत्न पास हो और जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई निरन्तर तदर्थ सेवा यदि कोई हो, को सम्मिलित करके 5 वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल, हो प्रोन्नति द्वारा : परन्तु यह कि जो लिपिक वर्ग-4 कर्मचारियों में से प्रोन्नत हुए हैं या करुणामूलक आधार पर नियुक्त किए गए है, ऐसी प्रोन्नति/नियुक्ति के समय तृतीय श्रेणी में मैट्रिक या मैट्रिक के अंग्रेजी के विषय सहित हिन्दी रतन पास हों, को वरिष्ठ सहायक के पद पर तब तक प्रोन्नत नही किया जाएगा जब तक कि वह उपरोक्त स्तम्भ सं0 7(i) के अधीन सीधी भर्ती के लिए यथा विहित न्यूनतम अनिवार्य अर्हताएं, अर्थात द्वितीय श्रेणी में मैट्रिक या 10 जमा 2 पास, धारित नहीं कर लेते : परन्तु यह और कि पात्र वर्ग-4 कर्मचारियों को कार्यालय प्रक्रिया, टंकण और वर्ड प्रोसेसिंग में दो मास का प्रशिक्षण हिप्पा सोसायटी के माध्यम से या तो संस्थान में या उनके अपने-अपने जिला प्रशिक्षण केन्द्रों में दिया जाएगा । प्रशिक्षित अभ्यर्थी ही प्रोन्नति हेतु पात्र होंगे । प्रशिक्षण केवल एक ही बार दिया जाएगा किन्तु परीक्षण (टेस्ट) में सम्मिलित होने के लिए उन कर्मचारियों को समय-समय पर अवसर दिए जाएंगे जो एक बार में विहित परीक्षण (टेस्ट) पास करने में असमर्थ रहे हों : परन्तु यह और कि प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए पात्र वर्ग-4 कर्मचारियों, अर्थात चपड़ासियों/चौकीदारों/फ्राश/सफाईकर्ताओं को उनकी सेवाअवधि के आधार पर, उनको काडर-वार वरिष्ठता को छेड़े बिना, एक संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी । लिपिक (वर्ग-3) के पदों को भरने के लिए निम्नलिखित 10 बिन्दु रोस्टर का अनुसरण किया जाएगा :— (क) पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पांचवां, छठा, सातवां, आठवां नौवां पद—सीधी भर्ती द्वारा, (ख) दसवां पद—प्रोन्नति द्वारा । (इसके पश्चात रोस्टर इसी प्रकार पुनरावृत होगा) । (1) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में की गई निरन्तर तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिये इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरण प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी : परन्तु यह कि उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल में की गई निरन्तर तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो, को शामिल करके, के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है वहा अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे : परन्तु उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भी कम हो, होगी : परन्तु यह और कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक

	की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ।	
	स्पष्टीकरण.—अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा/समझे जाएंगे यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाईजड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वकैन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान-टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे ऐक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।	
	(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरण पद पर की गई निरन्तर तदर्थ सेवा यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी : परन्तु उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारम्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।	
12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना ।	जैसी कि समय-समय पर सरकार द्वारा गठित किया जाए।	
13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा ।	जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित है ।	
14. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षा ।	किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना आवश्यक है ।	
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन ।	सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर चयन और यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा।	
16. आरक्षण	उक्त सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किये गये आदेशों के अधीन होगी ।	
17. विभागीय परीक्षा	लागू नहीं	
18. शिथिल करने की शक्ति	जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां यह कारणों को अभिलिखित करके आदेश द्वारा और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों को बाबत शिथिल कर सकेगी ।	

[*Authoritative english text of this Department Notification No. Per.(AP-B)B*(2)-11/98, *dated* 30-10-2002 *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

PERSONNEL (AP-II) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 30*th October*, 2002

No. Per.(AP-B)B(2)-11/98.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 read with Article 318 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Clerk, Class-III (Non-Gazetted) in the Himachal Pradesh Public Service Commission, as per Annexure-"A" attached to this Notification, namely:—

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Public Service Commission, Clerk Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2002.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Repeal and savings.*—(1) The Himachal Pradesh Public Service Commission, Class-III services/posts (Non-Gezetted) Recruitment & Promotion Rules, 1975 notified *vide* this Department Notification No. Per.(AP-II)B(2)-4/75, dated 12-9-1975 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules, so repealed under sub-rule(1) *supra* shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules.

By order,

HARSH GUPTA,
Chief Secretary.

ANNEXURE-"A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF CLERK, CLASS-III (NON-GAZETTED), IN RESPECT OF HIMACHAL PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION

1.	Name of the post	Clerk
2.	Number of posts	14 (Fourteen)
3.	Classification	Class-III (Non-Gazetted) Ministerial Services.

4.	Scale of pay	Rs. 3120-100-3220-110-3660-120-4260-140-4400-150-5000-160-5160 (with an initial start of Rs. 3220/-)
5.	Whether selection post or non-selection post.	Non-Selection
6.	Age for direct recruitment.	Between 18 & 45 years: Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on *ad hoc* or on contract basis : Provided further that if a candidate appointed on *ad hoc* basis or on contract basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such *ad hoc* or contract appointment: Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government: Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations / Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies. (1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be. (2) Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of the H.P. Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.
7.	Minimum Educational and other qualifications required for direct recruits.	*(a) Essential* : (*i*) Should have passed Matriculation with Second Division or 10+2 examination or its equivalent from a recognised Board/University. (*ii*) Should possess a minimum speed of 30 word per minute in English type-writing or 25 words per minute in Hind. type-writing *(b) Desirable qualification* : Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the pradesh.
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees.	*Age*: Not applicable *Educational Qualification* : Yes, as prescribed in Col. No. 11 below.
9.	Period of probation, if any.	Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.	(*i*) 90% by direct recruitment. (*ii*) 10% by promotion
11.	In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grades from which promotion/deputation/transfer is to be made.	By promotion from amongst the Class-IV officials who are Matric or Handi (Rattan)English as one of the subject and also possess five years regular service or regular combined with continuous *ad hoc* service, if any, in the grade: Provided that those Clerks who have been promoted from amongst the Class-IV employees or appointed on compassionate grounds having the educational qualification of "Matric" pass in third division or Hindi (Rattan) English as one of the subject at the time of such promotion / appointment shall not be promoted to the posts of Senior Assistants unless they possess the minimum essential qualification *viz.* "Matriculation in Second division or 10 plus 2 pass" as prescribed for direct recruitment under column No. 7(i) above:

	Provided further that two months training to the eligible Class-IV employees will be given in office procedure, Typewriting and word processing through HIPA Society either at the Institute or at their respective District Training Centres. Trained candidates will be eligible for promotion. Training will be held only once but opportunity for appearing in the test will be given from time to time to those employees who are unable to pass the prescribed test in one go : Provided further that for the purpose of promotion a combined seniority list of eligible Class-IV officials *viz.* Peons/Chowkidars/ Frash/Sweepers on the basis of their length of service without disturbing their cadre-wise *inter-se*-seniority shall be prepared. For filling up the posts of Clerk (Class-III), the following ten point roster shall be followed:— (*a*) 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th & 9th post —Direct Recruitment. (*b*) 10th post—promotee (Thereafter the roster shall repeat itself). (1) that in all cases of promotion, the continuous *ad hoc* service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the *ad hoc* appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of Recruitment and Promotion Rules : Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on *ad hoc* basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/ post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration: Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least 3 years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post whichever is less: Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion. *Explanation.*—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions of Rule 3 of Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule 3 of Ex-servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder. (2) Similarly in all cases of confirmation, continuous *ad hoc* service rendered in the feeder post if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service if the *ad hoc* appointment / promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of the Recruitment and Promotion Rules : Provided that *inter-se* seniority as a result of confirmation after taking into account, *ad hoc* service rendered as referred to above shall remain unchanged.	
12.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	As may be constituted by the Government from time to time.
13.	Circumstances under which the H. P. P. S. C. is to be consulted in making recruitment.	As required under the law.
14.	Essential requirement for a direct recruitment.	A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
15.	Selection for appointment to the post by direct Recruitment.	Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be

		made on the basis of *viva-voce* test if the H. P. Public Service Commission or other recruiting authority as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus, etc. of which will be determined by the Commission/other recruiting authority as the case may be.
16.	Reservation	The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other Backward Classes/ other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17.	Departmental Examination	Not applicable
18.	Power to relax	Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P.P.S.C., relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

श्रम विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-171001, 2 जनवरी, 2003

संख्या 11-23/84 (लैब) आई0 डी0 भाग/Mandi/2002.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Hem Raj s/o Sh. Som Nath. Village Machkehad, P. O. Ahju, Tehsil Joginder Nagar, District Mandi, H. P. *Vs.* The Executive Engineer, H. P. S. E. B. Division, Joginder Nagar, District Mandi (H. P.) के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा 5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :—

"Whether the termination of the services of Shri Hem Raj s/o Shri Som Nath *w. e. f.* 21-7-2000 by the Executive Engineer, H. P. S. E. B. Division Joginder Nagar, Distt. Mandi, H. P. without complying the provisions of section 25-G, and 25-H of the Industrial Dispute Act, 1947 ; whereas work and funds are available as alleged by work man, is proper and justified ? If not, what relief of service benefits the aggrieved workman is entitled to ?"

शिमला-1, 2 जनवरी, 2003

संख्या 11-23/84 (लैब) आई0 डी0 भाग/Mandi/2002. — अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Chatter Singh s/o Shri Damodar Dass through Shri N. L. Kondal (Pardhan) Bhartiya Mazdoor Sangh, Balakrupi, Joginder Nagar, Distt. Mandi, H. P. *Vs.* The Executive Engineer, H. P. P. W. D. (N. H.) Division Joginder Nagar, District Mandi, H. P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किये गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :—

1. Whether the action of the Executive Engineer, H. P. P. W. D. (NH) Division Joginder Nagar District Mandi H. P. not to regularise the serrvice of Shri Chattar Singh s/o Shri Damodar Dass, *w. e. f.* 1-1-1994 is proper and justified ? If not, from which date he is entitled to be regularised ?"
2. Whether the action of the Executive Engineer, H. P. P. W. D. (NH) Division Joginder Nagar District Mandi, H. P. to get the work of beldar (Class-IV) from Shri Chattar Singh ex-buldozer operator ; who lost his both legs during duty period and paying him the wages of beldar is proper and justified ? If not, what relief of service benefits the aggrieved workman is entitled to ?"

शिमला-1, 2 जनवरी 2003

सं0 11-2/93 (लैब0) आई0 डी0 भाग/2002/Mandi. — अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Ozone Pharmaceuticals Karamchari Sangh. Village Katha. P. O. Baddi through its General Secretary Sh. Joginder Singh s/o Shri Hari Ram Negi *Vs.* M/s Ozone Pharmaceuticals Ltd. Village Katha, Near Lakkar Depot, Baddi. Solan (H. P.) के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किये गये विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :—

"Whether the demands raised by the Ozone Pharmaceuticals Karamchari Sangh, Village Katha,

P. O. Baddi, District Solan H. P. *vide* their demand notices, dated 26-4-2001 and 11-5-2001 (Copies enclosed) to the Managemant of M/s Ozone Pharmaceuticals Ltd. Katha, Near Lakkar Depot, Baddi, District Solan, H. P. are proper and justified ? If not, what relief of service benefits the concerned workmen are entitled to ?".

शिमला-171 001, 2 जनवरी, 2003

संख्या 11-2/93(लैब) आई0 डी0 भाग/Parwanoo-2002.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Sukhdarshan Singh s/o Shri Beer Singh c/o Shri Om Parkash Sharma, Village Khera Sita Ram, P.O. Kalka, District Panchkula, Haryana V/s The Managing Director M/s Ind Sphinx Precision Limited, 28 Sector-5, Parwanoo, Distt. Solan (H.P.) के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिये भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :—

"Whether the termination of the Services of Sh. Sukhdarshan Singh s/o Shri Beer Singh. *w. e. f.* 13-9-2001 by the Management of M/s Ind Sphinx Precision Limited, 28 Sector-5, Parwanoo, District Solan, (H. P.) without any notice and compen sation is proper and justified ? If not, what relief of service benefits the above workman is entitled to ?"

शिमला-1, 2 जनवरी, 2003

संख्या 11-5/99 (लैब0) आई0 डी0 भाग/2002-चम्बा.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि श्री ओमकार सिंह सुपुत्र श्री हीरू, गांव मंगला, डाकखाना भरोड़ी, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) तथा वन अधिकारी, वन मण्डल, चम्बा, जिला चम्बा हिमाचल प्रदेश के मध्य नीचे दिये गए विषय पर औद्योगिक विवाद है;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिये भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :—

'क्या श्री ओमकार सिंह सपुत्र श्री हीरू, गांव मंगला, डाकखाना भरोड़ी, तहसील व जिला चम्बा को वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल चम्बा, जिला चम्बा, (हि0प्र0) द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार दिनांक 1-1-1994 से बेलदार के पद पर नियमित नहीं करने की कार्यवाही उचित व न्याय संगत है ? यदि नहीं, तो कामगार किस पूर्व वेतन, वरिष्ठता, पूर्व सेवा लाभों एवं राहत का पात्र है ?"

शिमला-1, 3 जनवरी, 2003

संख्या 11-23/84 (लैब0) आई0 डी0 भाग/2002/मण्डी.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि जय सिंह सुपुत्र श्री भूपत, गांव बनाई, डाकखाना जलपेहड़, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) तथा अधिशासी अभियन्ता, ट्रांसमीशन सब डिवीजन, भून्तर कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0प्र0) के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :—

"क्या श्री जय सिंह सुपुत्र श्री भूपत, गांव बनाई, डाकखाना जलपेहड़, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, दैनिक वेतन भोगी बेलदार को अधिशासी अभियन्ता, ट्रांसमीशन सब डिविजन, भून्तर कुल्लू, जिला कुल्लू द्वारा बिना किसी कारण माह मार्च, 1997 के उपरान्त नौकरी से निकाला जाना वैध है अथवा अवैध ? यदि नहीं, तो कामगार किन सेवा लाभों का हकदार है ?"

शिमला-171001, 10 जनवरी, 2003

संख्या 11-2/93 (लैब0) आई0 डी0 भाग/2002-Baddi.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि The Winsome Textile Karamchari Sangh, Reg. No. 317, Baddi District Solan and other workmen of M/s Winsome Textile Ltd. Baddi Tehsil Nalagarh, District Solan, H. P. and M/s Winsome Spectrum, Baddi, Tehsil Nalagarh, District Solan and the Management of M/s Winsome Textile Limited Baddi, Tehsil Nalagarh, District Solan, H. P. and M/s Winsome Spinners and M/s Winsome Spectrum, Baddi, District Solan (H. P.) के मध्य नीचे दिये गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिये भेजा जाता है :—

"Whether the strike of workmen in M/s Winsome Textile Ltd. Baddi, District Solan H. P., M/s Winsome Spinners Ltd. Baddi and M/s Winsome Spectrum Ltd. Baddi, District Solan, H. P. *w. e. f.*

3-1-2003 at 7.00 A. M. on the Demand Charter dated 7-1-2003 raised by Shri Joginder Singh Dogra representative of other workmen (Copy-enclosed) is legal and justified ? If yes, what relief they are entitled to ? If not, what are its effects ?"

शिमला-1, 13 जनवरी, 2003

संख्या 11-2/93 (लैब) आई० डी०/Solan/2002. अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Karam Chand s/o Shri Nanak Singh, VPO Karuana, Distt. Solan, H. P. Vs. Executive Engineer HPSEB Division Parwanoo, District Solan (H. P.) के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :—

"Whether the termination of services of Sh. Karam Chand s/o Sh. Nanak Singh daily wages beldar by the Executive Engineer HPSEB Division Parwanoo, District Solan H. P. *w. e. f.* 1-1-2000 without comlying with the provisions of Industrial Disputes Act, 1947 is proper and justified ? If not, what relief the aggrieved workman is entitled to ?".

शिमला-1, 13 जनवरी, 2003

संख्या 11-2/93 (लैब0) आई० डी०-भाग/सोलन/2002.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Sh. Shyam Lal s/o Sh. Bhangi Ram. Village Makhnoo Majara, Distt. Solan (H. P.) Vs. Executive Engineer, H. P. S. E. B. Division Parwanoo, Distt. Solan (H. P.) के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :—

"Whether the termination of services of Shri Shyam Lal s/o Shri Bhangi Ram, daily wages beldar by the Executive Engineer, HPSEB Division Parwanoo, Distt. Solan, H. P. *w. e. f.* 1-1-2000 without complying with the provisions of Industrial Dispute Act, 1947 is proper and justified ? If not, what relief the aggrieved workman is entitled to ?".

शिमला-1, 13 जनवरी, 2003

संख्या 11-2/93 (लैब0) आई० डी०/सोलन/2002. - अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Ram Rattan s/o Shri Amichand, Village Kondi, P.O. Thana, District Solan, Himachal Pradesh *Vs.* Executive Engineer, HPSEB Division Parwanoo, District Solan H. P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :—

"Whether the termination of the services of Sh. Ram Rattan s/o Shri Amichand daily wages, beldar by the Executive Engineer, HPSEB Division Parwanoo, District Solan H. P. *w. e. f.* 1-4-2000 without complying with the provisions of Industrial Disputes Act, 1947 is proper and justified ? If not, what relief the aggrieved workman is entitled to"

शिमला-1, 13 जनवरी, 2003

संख्या 11-2/93 (लैब0) आई० डी०/सोलन/2002— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Surender Singh s/o Shri Tharu Ram, Village Landewal P.O. Baddi, District Solan H. P. *Vs.* Executive Engineer, HPSEB Division Parwanoo, District Solan H. P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिये भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम-न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है:—

"Whether the termination of the services of Sh. Surender Singh s/o Shri Tharu Ram Daily wages beldar by the Executive Engineer, HPSEB Division Parwanoo, District Solan H. P. *w. e. f.* 1-1-2000 without complying with the provision of Industrial Disputes Act, 1947 is proper and justified ? If not, what relief the aggrieved workman is entitled to ?"

शिमला-1, 13 जनवरी, 2003

संख्या 11-2/93 (लैब0) आई० डी०/सोलन/2002.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Gurbachan

Singh s/o Shri Dalip Singh, Village Makhnoo Majra, P.O. Bhood, Tehsil Nalagarh, District Solan H. P *Vs.* Executive Engineer, HPSEB Division Parwanoo, Distt. Solan H P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(3) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम(लूज), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किये गये विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है:—

"Whether the termination of services of Shri Gurbacham Singh s/o Sh. Dalip Singh, Daily wages beldar by the Executive Engineer, H. P. State Electricity Board Division Parwanoo, District Solan (H. P.) *w. e. f.* 1-1-2000 without complying with the provisions of Industrial Disputes Act, 1947 is proper and justified ? If not, what reliefs the aggrieved workman is entitled to ?"

हस्ताक्षरित/-
श्रमायुक्त ।

भाग 4—स्थानीय स्वायत शासन, म्युनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, नोटिफाइड और टाऊन एरिया तथा पंचायती राज विभाग

-शून्य-

भाग 5—वैयक्तिक अधिसूचनाएं और विज्ञापन

न्यायालय श्री अमरजीत सिंह, उप-मण्डल दण्डाधिकारी चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री व्यासो राम पुत्र श्री हरी राम, गांव कटौसी, परगना डियूर, तहसील सलूनी, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त बावत नाम दरुस्ती बारा ।

श्री व्यासो राम पुत्र श्री हरी राम, गांव कटौसी, परगना डियूर, तहसील सलूनी, जिला चम्बा ने इस न्यायालय में एक दरख्वास्त गुजारी है जिस में उसने लिखा है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख व स्कूल अभिलेख में श्री व्यासो राम दर्ज है परन्तु सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में उसका नाम व्यास देव दर्ज है जो गलत है । तथा अब उस द्वारा व्यासो राम दर्ज करने बारा न्यायालय से अनुरोध किया है ।

अतः बजरिया इश्तहार आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त नाम दरुस्त करने बारा कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज इस न्यायालय में इश्तहार प्रकाशित होने उपरान्त अन्दर एक माह अपना उजर पेश कर सकता है । बाद मियाद उजर काबले समायत न होगा ।

आज दिनांक 31-12-2002 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर । अमरजीत सिंह,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
चुराह, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ।

ब अदालत श्रीमती सुषमा वत्स सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, फतेहपुर, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा

इन्तकाल नं0 : 11/95 तारीख पेशी : 29-1-2003

कर्म चन्द वगैरा बनाम हरी चन्द वगैरा ।

नोटिस बनाम :

1. मिलखी राम पुत्र रसीलो, 2. रमेश चन्द पुत्र मिलखी राम पुत्र रसीलो, 3. गिरधारी लाल, 4. हरी चन्द, 5. प्रकाश चन्द पुत्र ब, 6. श्रीमती राम प्यारी पुत्री कांशी राम, 7. आशा रानी पुत्री ब 8. शीला देवी विधवा जगत राम पुत्र हाको, 9. सुरेश कुमार, 10. सुरिन्द्र कुमार 11. पूर्ण चन्द पुत्रान व 12. कान्ता देवी, 13. वीना देवी, 14. ऊषा देवी, 15. प्रेमलता पुत्रियां व 16. शान्ति देवी विधवा चेत राम पुत्र हाको साकनान मौजा हटली, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ।

वसीयत इन्तकाल नं0 11/95 दर्ज शुद्धा मुहाल रजवाल, मौजा हटली, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा।

प्रार्थी श्री कर्म चन्द पुत्र श्री जगत राम, साकन रजवाल, तहसील फतेहपुर ने प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके दादा ठाकुर दास पुत्र सुर्जन, साकन रजवाल की भूमि खाता नं0 4-16-20 में मालिक अराजी व सायल लावल्द लाजम फौत हो चुका है । सायल के दादा ने अपनी मलकीयती भूमि को रजिस्टर्ड वसीयत वसीका नं0 98 दिनांक 18-12-1989 बहक कर्म चन्द, सतपाल, जगदीश कुमार, गोपाल कृष्ण पुत्र जगत राम पुत्र हाको की है ।

उपरोक्त फरीकदोयम को बजरिया इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कर्म चन्द, सतपाल, जगदीश कुमार, गोपाल कृष्ण पुत्रान जगत राम पुत्र हाको, मुहाल रजवाल, मौजा हटली को वरास्त का वसीयत इन्तकाल तसदीक करने बारे आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 29-1-2003 को सुबह 10 बजे पटवारखाना होरी देवी में हाजिर होकर एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैर हाजरी की सूरत में उपरोक्त वसीयत इन्तकाल तसदीक कर दिया जायेगा ।

आज इश्तहार हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर । सुषमा वत्स,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
फतेहपुर, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ।

ब अदालत श्रीमती सुषमा वत्स सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, फतेहपुर, तहसील फतेहपुर,, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

इन्तकाल नं0 तारीख पेशी : 29-1-2003

रमेश चन्द बनाम आम जनता

विषय :—इन्तकाल वरास्त मफकूद-उल-खबरी दर्ज शुद्धा मुहाल रजवाल, मौजा हटली, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ।

प्रार्थी श्री रमेश चन्द पुत्र मिलखी राम, साकन रजवाल, मौजा हटली, तहसील फतेहपुर ने प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका पिता मिलखी राम पुत्र रसीलो साकन रजवाल, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा अरसा 18 वर्ष से लापता है जिसकी वरास्त का इन्तकाल वहक वारसान श्री रमेश चन्द पुत्र मिलखी राम किया जावे ।

अतः इस इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश द्वारा ग्राम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को मिसत्री राम पुत्र रसीलो पुत्र मुर्जन, मुहाल रजवान, मौजा हटली को वरासत का इन्तकाल तस्दीक करने बारे आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 29-1-2003 को सुबह 10 बजे पटवारखाना होरी देवी में हाजर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा गैर हाजरी की सूरत में उपरोक्त वरासत का इन्तकाल तस्दीक कर दिया जावेगा।

आज इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। सुषमा वत्स,
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
फतेहपुर, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्रीमती सुषमा वत्स, सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, फतेहपुर, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस0 नं0 : 108/तकसीम/02 तारीख पेशी : 7-2-2003

आनन्त सिंह वगैरा बनाम कपिल देव वगैरा

नोटिस बनाम :

1. कपिल देव पुत्र सीता राम, 2. राधे कृष्ण पुत्र ईश्वर देव, 3. श्रीमती चन्द्रीका, 4. राज रानी, 5. संदेश, 6. अमर देवी वेवा ईश्वर दास, 7. जगदीश राम, 8. जगतार सिंह, 9. जगदीप सिंह, 10. वतन सिंह, 11. भगवान दास पुत्रान राम चन्द 12. होशियार सिंह, 13. सुरिन्द्र सिंह पुत्र हरनाम सिंह, 14. वीना कुमारी पुत्री चुनी लाल, साकन बेला लुधियाड़चा, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

तकसीम भूमि खाता नं0 59 खतौनी नं0 70, खसरा नं0 33, 1206, 1207, 1209, किता 4, रकबा 4-22-66 है0 टीका व मोजा बेला लुधियाड़चा, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा

उपरोक्त फरीकदोयम को समन जारी किये गये। बरवक्त फरीकदोयम इत्लाह करने से आनाकानी करते है या शादी-शुद्धा, नौकरी-पेशा होने के कारण तामील नहीं हो रही है। जिससे साफ जाहिर है कि इनकी तामील साधारण ढंग से नहीं हो रही है।

अतः उपरोक्त फरीकदोयम को बजरिया इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 7-2-2003 को प्रातः 10 बजे असालतन या वकालतन हाजर आकर पैरवी मुकद्दमा करें। अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 4-1-2003 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। सुषमा वत्स,
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
फतेहपुर, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं दण्डाधिकारी, फतेहपुर, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

केस नं0 : 14/02/बी0 तारीख पेशी 6-2-2003

श्री प्रकाश चन्द पुत्र श्री जसवन्त सिंह, साकन भदवाड़ा, डाकघर व तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादीगण।

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी प्रकाश चन्द पुत्र श्री जसवन्त सिंह, साकन भदवाड़ा, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा ने प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसके लड़के का जन्म दिनांक 26-1-2000 को गांव भदवाड़ा में हुआ था। परन्तु उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज न करवा सका है तथा दर्ज करने की प्रार्थना की है।

अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा ग्राम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को संजय कुमार पुत्र श्री प्रकाश चन्द की जन्म तिथि 26-1-2000 को पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने में आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 6-2-2003 को हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा उक्त जन्म तिथि पंचायत में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 4-1-2003 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं दण्डाधिकारी,
फतेहपुर, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा,
हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्रीमती सुषमा वत्स, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, फतेहपुर, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

केस नं0 : 15/बी0/02 तारीख पेशी : 7-2-2003.

श्री बेली राम पुत्र श्री खड़कू, साकन व मौजा झुम्ब, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी।

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969.

प्रार्थी बेली राम पुत्र खड़कू, साकन झुम्ब, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा ने प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसकी पोत्री का जन्म दिनांक 7-10-97 को गांव झुम्ब में हुआ था। परन्तु उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत झुम्ब के रिकार्ड में दर्ज न करवा सका है तथा दर्ज करने की प्रार्थना की है।

इस इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश द्वारा ग्राम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को मंजूबाला पुत्री सुभाष चन्द की जन्म तिथि 7-10-1997 को पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने में आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 7-2-2003 को सुबह 10 बजे अदालत में हाजर आकर अपना एतराज/उजर पेश कर सकता है। अन्यथा उक्त जन्म तिथि ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 4-1-2003 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। सुषमा वत्स,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
फतेहपुर, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा,
हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्रीमती सुषमा वत्स, सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, फतेहपुर, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 107/तकसीम/02 तारीख पेशी : 7-2-2003.

आनन्त सिंह वगैरा बनाम जगदीश राम वगैरा।

नोटिस बनाम :

1. जगदीश राम पुत्र सुरमो, 2. तरसेम लाल, 3. होशियार सिंह, 4. सुरेन्द्र सिंह पुत्रान श्री हरनाम सिंह, 5. साहणी देवी पुत्री वकीला,

6. भगवान दास पुत्र श्री मोहन लाल, 7. अभिषेक चन्द्र पुत्र व 8. तृप्ता देवी पत्नी श्री भगवान दास, 9. कृष्ण देव पुत्र श्री लेखराज, 10. अश्वनी कुमार पुत्र श्री लेख राज, 11. महिन्दर सिंह पुत्र श्री वलाकी राम, साकन बेला लुधियाडचा, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

तकसीम भूमि खाता नं0 4, खतौनी नं0, 4, खसरा नं0 3,12, 14, 15,17,18,32,39,40,41,42,51,990, 991, 992, 994, 1033, 1218 कित्ता- 18, रकबा 34-59-75 है0, टीका व मौजा बेला लुधियाडचा, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा, ।

उपरोक्त फरीकदोयम को समन जारी किए गए। वरवक्त फरीकदोयम इत्लाह करने से आनाकानी करते हैं या शादी-शुद्धा, नौकरी पेशा होने के कारण तामील नहीं हो रहे है। जिससे साफ जाहिर है कि उनकी तामील साधारण ढंग से नहीं हो रही है।

अतः उपरोक्त फरीकदोयम को बजरिया इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 7-2-2003 को प्रातः 10 बजे असालतन या वकालतन हाजर आकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में यक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 4-1-2003 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। सुषमा दत्त,
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
फतेहपुर, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा,
हिमाचल प्रदेश।

न अदालत श्री कुंजू राम, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी- पालमपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

केस नं0 188-एन0टी0-1/02 तारीख पेशी : 7-2-2003

सुभाष चन्द बनाम सर्वसाधारण एवं आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री विधि सिंह, निवासी महाल समाणा, डाकघर समाणा, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रमाण-पत्र दिया है कि उसकी पत्नी विमला कुमारी की मृत्यु दिनांक 10-3-1997 को हुई है मगर ग्राम पंचायत बारी के अभिलेख में दर्ज नहीं है, अब दर्ज की जावे।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 7-2-2003 को सुबह 1.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा विमला देवी, पत्नी सुभाष चन्द की मृत्यु तिथि 10-3-1997 को पंजीकरण के आदेश सम्बन्धित पंचायत बारी को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 13-12-2002 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। कुंजू राम,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी
दण्डाधिकारी, पालमपुर, जिला कांगड़ा,
हिमाचल प्रदेश।

न्यायालय श्री सोहन लाल शर्मा, उप-पंजीकार, थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

प्रकरण संख्या 1/2002/एन.टी. तिथि दायरा 28-10-2002

प्रकृति : वसीयतनामा अधीन धारा 40/41

तिथि पेशी 10-2-2003

1. मैना देवी विधवा, 2. तिलक राज व 3. राज कुमार दोनों पुत्रान लक्ष्मण दास पुत्र निधू राम, जाति ब्राह्मण, निवासी मालन, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादीगण।

चूंकि ऐसी अवस्था में, उपरोक्त वर्णित प्रार्थीगण ने भारतीय पंजीकरण अधिनियम की धारा 40/41 के अधीन स्व0 लक्ष्मण दास द्वारा की गई वसीयत पंजीकृत करवाने हेतु प्रकरण दायर किया है।

प्रार्थीगण के अनुसार, वे मृतक लक्ष्मण दास के वैधानिक उत्तराधिकारी हैं तथा अपने जीवन-काल में दिनांक 12-9-2002 को मृतक लक्ष्मण दास ने उनके नाम (अपंजीकृत वसीयत) की है, जिसमें अपनी चल-अचल सम्पत्ति उपरोक्त वर्णित प्रार्थीगण के नाम/पक्ष में की है।

अतः इस एतद् के माध्यम से आम जनता, सगे सम्बन्धियों या किसी भी हितबद्ध संस्था को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस वसीयत के पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 10-2-2003 को व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिवक्ता के माध्यम से अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। उक्त तिथि को किसी भी प्रकार की आपत्ति पेश न होने पर एक पक्षीय कार्यवाही आरम्भ करते हुए पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे तथा 10-2-2003 के उपरान्त किसी भी प्रकार की आपत्ति अथवा अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा।

आज दिनांक 19-12-2002 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। सोहन लाल शर्मा,
उप-पंजीकार, थुरल,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

न्यायालय श्री सोहन लाल शर्मा, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

किस्म मुकद्दमा दुरुस्ती तिथि दायरा 16-12-2002

प्रकरण संख्या 10/2002/एस.टी.टी. तिथि पेशी 10-2-2003

ब्रह्मू राम पुत्र बसाखी पुत्र निधू, निवासी काना-सुभां, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) .. प्रार्थी।

बनाम

1. सोम नाथ पुत्र सुन्कु राम निवासी पता नहीं,
2. आम जनता .. प्रतिवादीगण।

प्रार्थना-पत्र बराए दरुस्ती खाना काश्त, राजस्व अभिलेख बाबत खाता नं0 91 मिन, खतौनी नं0 224, खसरा नं0 348, रकबा तादादी 0-00-12 है0 स्थित महाल काना-सुभां, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, संदर्भित जमाबन्दी वर्ष 2000-2001.

उपरोक्त वर्णित प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपरोक्त वर्णित भूमि के राजस्व अभिलेख के खाना काश्त की दरुस्ती हेतु आवेदन/प्रार्थना-पत्र दायर किया है।

प्रार्थी के अनुसार, उपरोक्त वर्णित प्रतिवादी सोमनाथ पुत्र सुन्कु राम का गलती से उपरोक्त वर्णित भूमि के खाना काश्त में नाम दर्ज हो गया है। जबकि उपरोक्त वर्णित भूमि पर मौका पर प्रार्थी का ही कब्जा है। इसके अतिरिक्त, प्रार्थी के अनुसार उपरोक्त प्रतिवादी सोम नाथ का 20 सालों से कोई भी अता-पता नहीं है तथा वर्णित भूमि जिस पर दुकान है प्रार्थी का ही मौके पर कब्जा है।

अतः इस एतद् के माध्यम से उपरोक्त वर्णित प्रतिवादी सोम नाथ पुत्र सुन्कू राम व आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस दरुस्ती बारे कोई आपत्ति है तो वह दिनांक 10-2-2003 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत

कर सकता है। अन्यथा इस तिथि को किसी भी प्रकार की आपत्ति पेश होने की दशा में दरुस्ती आदेश एक तरफा कार्यवाही अमल में लाते हुए पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 19-12-2002 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। मोहन लाल शर्मा,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री संजीव कुमार, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, एवं नायब तहसीलदार, स्पिति स्थान काजा

मकफूज-उलखबरी टाशी राम पुत्र अंगरुप नामालूम बासी महाल माने योगमा, तहसील स्पिति, जिला लाहौल एवं स्पिति।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री पलदन नमबाल पुत्र श्री टाशी राम, निवासी माने योगमा ने इस कार्यालय को एक आवेदन पत्र दिया है कि उसका पिता मिति 13-5-1991 से लापता है तथा उसकी जानकारी किसी को नहीं है। पुलिस थाना काजा के रोजनामचा रपट नं0 4, दिनांक 30-5-1991 से तथ्य की पुष्टि होती है। इस से ऐसा प्रतीत होता है कि टाशी राम फौत हो चुका है इसलिये उस की बरास्त का इन्तकाल उसके जायज वारसान के नाम किया जावे।

आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री टाशी राम उपरोक्त के जिवित व स्वर्गवास होने के बारे में किसी को कोई जानकारी हो तो वह इस न्यायलय में इस इश्तहार के प्रकाशित होने के 30 दिन के अन्दर वह स्वयं व अपने द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के माध्यम मे सूचना प्रस्तुत कर सकता है। कोई सूचना प्राप्त न होने पर यह समझा जायेगा कि उपरोक्त श्री टाशी राम इस संसार में जीवित न है तथा उसकी बरास्त का इन्तकाल जो उसके जायज वारसान के नाम दर्ज है तस्दीक कर दिया जायेगा।

आज दिनांक 27-12-2002 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। संजीव कुमार,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं,
नायब तहसीलदार, स्पिति स्थान काजा।

ब अदालत श्री के0 आर0 शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

दावा : नाम दरूस्ती।

ब मुकद्दमा :

रतन चन्द

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37(2) के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र।

नोटिस।

श्री रतन चन्द सुपुत्र स्वर्गीय श्री सुखिया राम, निवासी घघवाणा, डाकघर चुक्कू, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(2) के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का दावा है कि उसका नाम पटवार वृत चुक्कू के मुहाल घघवाणा के राजस्व अभिलेख में राती राम पुत्र स्वर्गीय श्री सुखिया राम गलत दर्ज है। जब कि प्रार्थी का नाम पाठशाला प्रमाण-पत्र व परिवार रजिस्टर भाग-I में रतन चन्द पुत्र स्वर्गीय श्री सुखिया राम दर्ज है। इस लिए प्रार्थना की है कि मुहाल-घघवाणा, पटवार वृत चुक्कू में इसका नाम रती राम के स्थान पर रतन चन्द दर्ज किया जाए।

अतः प्रार्थी के उपरोक्त प्रार्थना-पत्र के आधार पर आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त शुद्धि के बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 4-2-2003 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व अदालत हजा में अमालतन या वकालतन हाजर आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। उपरोक्त अवधि के अन्दर आपत्ती पत्र प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 4-1-2003 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। के0आर0 शर्मा,
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी,
हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0: 102 दावा: जन्म तिथि दर्ज किये जाने बारा।

ब मुकद्दमा :

आयुश पुत्र सन्तोष पत्नी श्री कुलदीप सिंह, निवासी मंगलाह, तहसील सुन्दर नगर, जिला मण्डी ..प्रार्थी।

बनाम

आम जनता ..प्रत्यार्थीगण।

प्रार्थना-पत्र बाबत मिलने आदेश सचिव ग्राम पंचायत खिलडा, तहसील सुन्दर नगर करने दर्ज जन्म तिथि आयुश पुत्र प्रार्थी।

उपरोक्त उनवान मुकद्दमा में आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है अगर किसी को उपरोक्त नाम को दरूसती किये जाने के बारा किसी किस्म का कोई उजर/एतराज हो तो वे दिनांक 5-2-2003 को प्रातः 10.00 बजे अमालतन या वकालतन हाजर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकते हैं। अन्यथा आपके हाजर न आने की सूरत में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 9-12-2002 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सुन्दरनगर, जिला मण्डी,
हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री ओ0 पी0 कान्त, उप-मण्डल दण्डाधिकारी (ग्रा0), शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्रीमति गीता पुत्री श्री तिलक राम, निवासी गांव पिरगली डा0 बसन्तपुर, जिला शिमला।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बाबत नाम व जन्म तिथि पंचायत अभिलेख में दर्ज करने बारे।

श्रीमति गीता देवी ने इस अदालत में एक आवेदन-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसके भाई श्री योग राज की मृत्यु दिनांक 16-7-1990 को हुई है लेकिन उनकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत बसन्तपुर के अभिलेख में दर्ज नहीं कर रखी है, अब दर्ज की जाए।

अतः इस अदालती इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उक्त आवेदिका के भाई की मृत्यु उनकी ग्राम पंचायत बसन्तपुर के अभिलेख में दर्ज करने में कोई आपत्ति हो तो वह अपना आपत्तिनामा दिनांक 3-2-2003 तक या इससे पूर्व इस अदालत में हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत सम्बन्धित को उनकी मृत्यु पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 3-1-2003 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर। ओ0 पी0 कान्त,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी (ग्रा0),
शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री ओ0पी0 कान्त, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, शिमला (ग्रा0), जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्री सुरेश चन्द शर्मा पुत्र श्री निक्कु राम, निवासी ग्राम नैहरा, डा0 रझयाणा, तहसील व जिला शिमला।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बाबत नाम व जन्म तिथि पंचायत अभिलेख में दर्ज करने बारे।

श्रीमती सुरेश चन्द शर्मा ने इस अदालत में एक आवेदन-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसके बेटे का नाम हरीश शर्मा व जन्म तिथि 26-6-1998 है लेकिन उनकी ग्राम पंचायत रझाणा के अभिलेख में दर्ज नहीं है, अब दर्ज की जावे।

अतः इस अदालती इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उक्त आवेदक के बेटे का नाम व जन्म तिथि उनकी ग्राम पंचायत रझाणा के अभिलेख में दर्ज करने में कोई आपत्ति हो तो वह अपना आपत्तिनामा दिनांक 3-2-2003 तक या उससे पूर्व इस अदालत में हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा सचिव ग्राम पंचायत सम्बन्धित को नाम व जन्म तिथि उनकी पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 3-1-2003 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ है।

मोहर। ओ0 पी0 कान्त,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी, शिमला (ग्रा0),
जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री केशव राम, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्री देवी सिंह पुत्र श्री टीका राम, निवासी रोवू, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) पंजीकरण जन्म व मृत्यु।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान बाला में प्रार्थी श्री देवी सिंह पुत्र टिका राम, निवासी तहसील रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में गुजारिश की है कि उसकी पुत्री मेनका का जन्म दिनांक 26-12-91 को हुआ है लेकिन उसका जन्म तिथि अधिसूचित क्षेत्र रोहड़ू के रिकार्ड में पंजीकृत नहीं हुई है।

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र सूचित किया जाता है कि उपरोक्त पंजीकरण बारा किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 10-2-2003 को असालतन व वकालतन इस कार्यालय में सुबह 10.00 बजे हाजिर आवें तथा अपने उजर पेश करें अन्यथा दिगर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 23-12-2002 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। केशव राम,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोहड़ू,
जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, नायब-तहसीलदार रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

लब्दू पुत्र श्री भीमी, निवासी वाड़ी, तहसील रोहड़ू ..फरीक अव्वल।

बनाम

रमेश पुत्र स्व0 कनेकटू, निवासी हाल धुड़ूंजा, सब-तहसील ननखरी (रामपुर), जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ..फरीक दोयम।

दरख्वास्त दरुस्ती इन्द्राज कब्जा काश्त दावेदार वै भूमि खाता खतौनी नं0 45 मिन/130 हाल ख0 नं0 10,11, 12, 13, 14, 15 किते 5, रकबा तादादी 0-17-72 हैक्टेयर वाक्या चक कटेहड़ी, तहसील रोहड़ू।

विषय उपरोक्त में फरीक दोयम को इस न्यायालय द्वारा कई बार समन जारी किये गये परन्तु उनकी तामील समन साधारण तरीके से नहीं हो रही है। अब न्यायालय को विश्वास हो चुका है कि फरीक दोयम को तामील हस्ब जाब्ता होना असम्भव है। अतः उपरोक्त फरीक दोयम को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त दरुस्ती व कब्जा काश्त बारे कोई ऐतराज हो तो वे असालतन या वकालतन दिनांक 10-2-2003 को प्रातः 10.00 बजे इस न्यायालय में हाजिर होकर पेश करें। अन्यथा हाजिर न होने की सूरत में कार्यवाही एक पक्षीय अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 23-12-2002 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री डी0 आर0 वर्मा, सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 34/02 तारीख आरम्भ : 23-9-2002

भंगी राम पुत्र श्री छितरू, निवासी ग्राम कौल्लाबालाभूड, तहसील नाहन ..प्रार्थी।

बनाम

आशा राम पुत्र श्री चुहड़ा, निवासी ग्राम कौल्लावालाभूड, तहसील नाहन ..प्रत्यार्थी।

दावा दरुस्ती इन्द्राज नम्बर खसरा 414, तादादी रकबा 1-18 बीघा वाका मौजा कौल्लावालाभूड, तहसील नाहन से प्रत्यार्थी का नाम खारीज करने बारे।

इश्तहार ग्राम जनता ।

भंगी राम पुत्र श्री छिनरू, निवासी ग्राम कौन्लावालाभूड, तहसील नाहन ने इस अदालत में आवेदन किया है कि अराजी बादग्रस्त मे प्रत्यार्थी का कब्जा व काश्त खारिज किया जाए । मामले में छानबीन करवाई गई जिससे पाया गया कि प्रत्यार्थी दिनांक 10-8-1979 को लावल्द फौत हो चुका है तथा कब्जा व काश्त राजस्व अभिलेख में गलत दर्ज चला आ रही है ।

अतः बजरिया इस इश्तहार के ग्राम जनता को सूचित किया जाता है कि अगर किसी भी शख्स को अराजी वाद ग्रस्त मे प्रत्यार्थी का नाम खारीज होने बारे कोई भी उजर व एतराज हो तो इस अदालत में असालतन या वकालतन मिति 10-2-2003 को प्रातः 10.00 बजे अपना उजर व एतराज पेश करें । अगर तारीख मुकर्र पर कोई भी उजर व एतराज पेश न हुआ तो प्रार्थी के पक्ष में काश्त व कब्जा दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे तथा कोई भी उजर व एतराज बाद गुजरने तारीख निश्चित काबले समायत न होगा ।

आज दिनांक 4-12-2002 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर । डी0 आर0 वर्मा,
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ।

ब अदालत श्री संजय शर्मा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

ब मुकद्दमा :

श्री दया सिंह पुत्र श्री राम किशन, ग्राम रामपुरघाट, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ।

बनाम

ग्राम जनता

प्रार्थना-पत्र बराए दुरुस्ती नाम ।

उपरोक्त मुकद्दमा ग्राम बाला में श्री दया सिंह पुत्र श्री राम किशन, निवासी रामपुरघाट, मय ब्यान हलफिया ब्यान/प्रार्थना-पत्र दिया है कि ग्राम पंचायत कुन्जा के रिकार्ड में उसका नाम दया सिंह गलती से लिखा गया है इस गलती को दुरुस्त किया जाए ।

अतः ग्राम जनता को बजरिए इश्तहार सूचित किया जाता है कि उपरोक्त बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 2-2-2003 से पूर्व अपने एतराज असालतन या वकालतन पेश कर सकता है । निर्धारित अवधि पर कोई एतराज प्राप्त न होने की सूरत पर श्री दया सिंह के प्रार्थना-पत्र पर आगामी कार्यवाही कर दी जाएगी ।

आज दिनांक 2-1-2003 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया ।

मोहर । संजय शर्मा,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ।

ब अदालत श्री संजय शर्मा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री सालिग राम पुत्र श्री नैन सिंह, ग्राम दाया, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ।

बनाम

ग्राम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री सालिग राम पुत्र श्री नैन सिंह, ग्राम दाया, तहसील शिलाई, ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका अपना जन्म दिनांक 11-8-1960 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश वह उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत कुहन्ट के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका है ।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 5-2-2003 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा स्थित पांवटा में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है । निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र सालिग राम पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी ।

आज दिनांक 7-1-2003 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया ।

मोहर । संजय शर्मा,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ।

ब अदालत श्री संजय शर्मा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती सरिता वर्मा पत्नी श्री राज कुमार, ग्राम माजरा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ।

बनाम

ग्राम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती सरिता वर्मा पत्नी श्री राज कुमार, ग्राम माजरा, ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके लड़कों/लड़की का नाम शिशुपाल, नीलम, कर्ण वर्मा का जन्म दिनांक 29-8-92 शिशुपाल, 9-7-95 नीलम, 4-2-2001 कर्ण, को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश वह उनकी जन्म तिथियां ग्राम पंचायत माजरा के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका है ।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 5-2-2003 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा स्थित पांवटा में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्रीमती सरिता वर्मा पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी ।

आज दिनांक 7-1-2003 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया ।

मोहर । संजय शर्मा,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ।

ब अदालत श्री नरेन्द्र शर्मा, उप-मण्डलाधिकारी (ना0), अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)

श्री प्रेम बहादुर पुत्र श्री देव बहादुर, निवासी अम्ब, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0) ।

बनाम

ग्राम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री प्रेम बहादुर पुत्र श्री देव बहादुर, निवासी अम्ब ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके लड़के दीपक कुमार का जन्म दिनांक 13-2-1997 को

हुआ था परन्तु अज्ञानतावश वह उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत अम्ब के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका है ।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 10-2-2003 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा स्थित अम्ब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है । निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र श्री प्रेम बहादुर पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी ।

आज दिनांक 8-1-2003 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर । नरेन्द्र शर्मा,
उप-मण्डलाधिकारी (ना0),
अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0) ।

ब अदालत श्री नरेन्द्र शर्मा, उप-मण्डलाधिकारी (ना0), अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री प्रेम बहादुर पुत्र श्री देव बहादुर, निवासी अम्ब, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0) ।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री प्रेम बहादुर पुत्र श्री देव बहादुर, निवासी अम्ब ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी लड़की शारदा कुमारी का जन्म दिनांक 8-5-2000 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश वह उसकी जन्मतिथि ग्राम पंचायत अम्ब के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका है ।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 10-2-2003 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा स्थित अम्ब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र श्री प्रेम बहादुर पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 8-1-2003 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर । नरेन्द्र शर्मा,
उप-मण्डलाधिकारी (ना0),
अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0) ।

ब अदालत श्री नरेन्द्र शर्मा, उप-मण्डलाधिकारी (ना0), अम्ब जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती मीनू राणा पत्नी श्री राजीव सिंह राणा, निवासी रायपुर, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती मीनू राणा पत्नी श्री राजीव सिंह राणा, निवासी रायपुर ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके लड़के का नाम राहुल राणा पुत्र श्री राजीव सिंह राणा का जन्म दिनांक 5-12-2001 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश वह उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत रायपुर के रिकार्ड मे दर्ज नहीं करा सकी है ।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 10-2-2003 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा स्थित अम्ब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है । निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र श्रीमती मीनू राणा पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी ।

आज दिनांक 8-1-2003 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर । नरेन्द्र शर्मा,
उप-मण्डलाधिकारी (ना0),
अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ।

ब अदालत श्री नरेन्द्र शर्मा, उप-मण्डलाधिकारी (ना0), अम्ब जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री प्रेम बहादुर पुत्र श्री देव बहादुर, निवासी अम्ब, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0) ।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री प्रेम बहादुर पुत्र श्री देव बहादुर, निवासी अम्ब ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी लड़की शीला कुमारी का जन्म दिनांक 21-3-1995 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश वह उसकी जन्म तिथि नगर पंचायत के रिकार्ड अम्ब में दर्ज न करा सका है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 10-2-2003 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा स्थित अम्ब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है । निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्री प्रेम बहादुर पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 8-1-2003 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर। नरेन्द्र शर्मा,
उप-मण्डलाधिकारी (ना0),
अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ।

ब अदालत श्री नरेन्द्र शर्मा, उप-मण्डलाधिकारी (ना0), अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री किशोरी लाल पुत्र श्री धनी राम, निवासी सलोह बैरी, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0) ।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री किशोरी लाल पुत्र श्री धनी राम, निवासी सलोह बैरी ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके बच्चों का नाम अरविन्द (पुत्र), आंचल व अंकिता (पुत्रियां) का जन्म क्रमशः दिनांक 18-1-1998, 17-2-2000 व 27-7-2001 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश वह उनकी जन्म तिथियां ग्राम पंचायत सलोह बैरी के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका है ।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 10-2-2003 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा स्थित अम्ब में

असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्री किशोरी लाल पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 8-1-2003 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। नरेन्द्र शर्मा,
उप-मण्डलाधिकारी (ना0),
अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

व अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : मृत्यु तिथि प्रमाण-पत्र।

देस राज बनाम आम जनता मैहतपुर।

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री देस राज पुत्र श्री ब्रहमा नन्द, निवासी गांव मैहतपुर, तहसील व जिला ऊना ने इस न्यायालय में दरख्वास्त गुजारी है कि उसके पिता ब्रहमा नन्द पुत्र गोकल चन्द की मृत्यु किसी कारणवश ग्राम पंचायत मैहतपुर मृत्यु रजिस्टर में दर्ज न करवाई जा सकी है जोकि अब करवाई जाए। प्रार्थी ने मृतक की मृत्यु तिथि 2-11-1992 बताई है तथा मृत्यु का स्थान मैहतपुर है।

अतः इस नोटिस के माध्यम से समस्त जनता ग्राम तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त मृतक की मृत्यु तिथि दर्ज होने में कोई आपत्ति/उजर हो तो वह इस नोटिस के प्रकाशन होने के पश्चात् एक माह के अन्दर-अन्दर असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थी द्वारा बताई गई मृत्यु तिथि दर्ज करने के निर्देश जारी कर दिए जाएंगे तथा बाद में कोई भी उजर काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 30-12-2002 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

व अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा : जन्म तिथि प्रमाण-पत्र।

सुरेन्द्र कुमार कालिया बनाम बासी रामपुर

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री सुरेन्द्र कुमार कालिया पुत्र कर्म चन्द कालिया, निवासी रामपुर, गांव रामपुर, तहसील व जिला ऊना ने इस न्यायालय में दरख्वास्त गुजारी है कि उसके पुत्र अंकित कालिया का नाम जन्म पंचायत रजिस्टर में गलती से दर्ज न करवाया जा सका है और अब दर्ज करवाया जाए। उसके उपरोक्त पुत्र की जन्म तिथि 23-9-1992 है तथा जन्म स्थान रामपुर है।

अतः इस नोटिस के माध्यम से समस्त आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज होने में कोई उजर या एतराज हो तो वह इस नोटिस के प्रकाशन होने के पश्चात् एक माह के अन्दर-अन्दर असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर वांछित प्रमाण-पत्र जारी करने के निर्देश सम्बन्धित कार्यालय को दे दिये जायेंगे।

आज दिनांक 30-12-2002 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

व अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, ऊना जिला ऊना (हि0 प्र0)

श्रीमती सुषमा देवी पत्नी श्री रणजीत चौधरी, गांव वासी छतरपुर ढाडा, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता।

विषय.—नाम दरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र।

श्रीमती सुषमा देवी पत्नी श्री रणजीत चौधरी, गांव वासी छतरपुर ढाडा ने न्यायालय ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका एक लड़का दिनांक 4-5-1998 को जिला अस्पताल ऊना में पैदा हुआ था। जिला अस्पताल में जो बच्चा पैदा होता है उसके लिए ग्राम पंचायत अरनियाला अप्पर पड़ती है। प्रार्थी के लड़के का नाम ग्राम पंचायत अरनियाला अप्पर में गलती से रोहन के नाम का इन्द्राज दर्ज हुआ है और प्रार्थी के लड़के का सही नाम सचिन चौधरी है जिसके बारे ग्राम पंचायत अरनियाला अप्पर में लड़के रोहन की बजाये सचिन चौधरी के नाम की दरुस्ती बारे अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण व आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त नाम रोहन के बजाये सचिन चौधरी ग्राम पंचायत अरनियाला अप्पर के रिकार्ड में दरुस्त करने बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 7-2-2003 को असालतन या वकालतन इस अदालत में उपस्थित होकर पेश कर सकता है इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य न होगा और मजीद कार्यवाही बराये दरुस्ती नाम अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 28-12-2002 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,
जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

व अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा : जन्म तिथि प्रमाण-पत्र।

ओम पाल बनाम आम जनता, अजौली।

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री ओम पाल पुत्र श्री हरपूल, अजौली, निवासी गांव अजौली, तहसील व जिला ऊना ने इस न्यायालय में दरख्वास्त गुजारी है कि उसके पुत्र अयश का जन्म पंचायत रजिस्टर में गलती से दर्ज न करवाया जा सका है और अब दर्ज करवाया जाए। उसके पुत्र की जन्म तिथि 2-10-1997 है तथा जन्म स्थान अजौली है।

अतः इस नोटिस के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज होने में कोई उजर/एतराज हो तो वह इस नोटिस के प्रकाशन होने के पश्चात् एक माह के अन्दर-अन्दर असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर वांछित प्रमाण-पत्र जारी करने के निर्देश सम्बन्धित कार्यालय को दे दिये जायेंगे।

आज दिनांक 4-1-2003 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा : जन्म तिथि प्रमाण-पत्र।

केसर सिंह बनाम आम जनता, मजारा

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री केसर सिंह पुत्र श्री सीतल सिंह, गम्मीरपुर निवासी गांव गम्मीरपुर, तहसील आनन्दपुर साहिब, जिला रोपड़ ने इस न्यायालय में दरख्वास्त गुजारी है कि उसके पुत्र प्रदीप सिंह का जन्म पंचायत रजिस्टर में गलती से दर्ज न करवाया जा सका है और अब दर्ज करवाया जाए। उसके पुत्र की जन्म तिथि 27-1-1998 है तथा जन्म स्थान मजारा है।

अतः इस नोटिस के माध्यम से समस्त आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज होने में कोई उजर/एतराज हो तो वह इस नोटिस के प्रकाशन होने के पश्चात् एक माह के अन्दर-अन्दर असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर वांछित प्रमाण-पत्र जारी करने के निर्देश सम्बन्धित कार्यालय को दे दिये जायेंगे।

आज दिनांक 4-1-2003 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा : जन्म तिथि प्रमाण-पत्र।

ओम पाल बनाम आम जनता, अजौली।

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री ओम पाल पुत्र हरपूल, मै0 एस0के0 को0, निवासी गांव अजौली ईंट भट्ठा, तहसील व जिला ऊना ने इस न्यायालय में दरख्वास्त गुजारी है कि उसके पुत्र अजय का जन्म पंचायत रजिस्टर में गलती से दर्ज न करवाया जा सका है और अब दर्ज करवाया जाए। उसके पुत्र की जन्म तिथि 5-10-1995 है तथा बच्चे का जन्म स्थान अजौली है।

अतः इस नोटिस के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज होने में कोई उजर या एतराज हो तो वह इस नोटिस के प्रकाशन होने के पश्चात् एक माह के अन्दर-अन्दर असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर वांछित प्रमाण-पत्र जारी करने के निर्देश सम्बन्धित कार्यालय को दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 4-1-2003 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा :

प्रार्थना-पत्र बराये दरुस्ती नाम।

सीता राम बनाम आम जनता वासी ईसपुर

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री सीता राम पुत्र सरदारी लाल, गांव व डाकखाना ईसपुर, तहसील व जिला ऊना ने इस न्यायालय में दरख्वास्त गुजारी है कि उसकी पुत्री तानवी धीमान का नाम ग्राम पंचायत रिकार्ड ईसपुर में नरोजवाला नाम का इन्द्राज हुआ है जो कि गलत इन्द्राज है। प्रार्थी ने प्रार्थना की है कि पंचायत रिकार्ड के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण में नरोजवाला की बजाये तानवी धीमान के नाम बारे दरुस्ती ग्राम पंचायत में की जाए।

अतः इस नोटिस के माध्यम से समस्त आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त नाम की ग्राम पंचायत रिकार्ड में दरुस्ती बारे उजर/एतराज हो तो वह इस नोटिस के प्रकाशन होने के पश्चात् एक माह के भीतर-भीतर असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा नाम दरुस्ती बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 7-1-2003 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा :

प्रार्थना-पत्र बराए दरुस्ती नाम।

सीता राम बनाम आम जनता वासी ईसपुर।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री सीता राम पुत्र सरदारी लाल, गांव व डाकखाना ईसपुर, तहसील व जिला ऊना ने इस न्यायालय में एक दरख्वास्त गुजारी है कि उसके पुत्र अर्पित धीमान का नाम ग्राम पंचायत रिकार्ड ईसपुर में अंकुश नाम का इन्द्राज हुआ है जोकि गलत इन्द्राज है। प्रार्थी ने प्रार्थना की है कि पंचायत रिकार्ड के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण में अंकुश नाम की बजाए अर्पित धीमान का नाम बारे दरुस्ती ग्राम पंचायत रिकार्ड में की जाए।

अतः इस नोटिस के माध्यम से समस्त आम जनता सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त

नाम की ग्राम पंचायत रिकार्ड ईसपुर में दरुस्ती बारे उजर/एतराज हो तो वह इस नोटिस के प्रकाशन होने के पश्चात एक माह के भीतर-भीतर अमालतन या वकालतन इस अदालत में हाजर आकर पेश कर सकता है अन्यथा दरुस्ती नाम बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे ।

आज दिनांक 7-1-2003 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर । हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ।

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)

श्री शाम लाल पुत्र श्री पूर्ण चन्द, वासी लोअर अरनियाला, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) वादी ।

बनाम

आम जनता प्रतिवादी ।

विषय.—दरख्वास्त बराए दरुस्ती नाम ।

प्रार्थी श्री शाम लाल पुत्र श्री पूर्ण चन्द, गांव वासी लोअर अरनियाला, तहसील व जिला ऊना ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके बेटे का जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रिकार्ड ग्राम पंचायत अरनियाला में चन्द्रशेखर नाम इन्द्राज हुआ है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है । उसके बेटे का नाम चन्द्रशेखर की बजाए शेखर करवाना चाहता है। सायल ने दरख्वास्त मय शपथ-पत्र व जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रिकार्ड प्रस्तुत किया है ।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशन के उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर पेश कर सकता है । बाद गुजरने मियाद कोई उजर न सुना जायेगा तथा प्रार्थी के बेटे का नाम दरुस्ती हेतु आदेश जारी कर दिए जाएंगे ।

आज दिनांक 30-12-2002 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर । हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

ब अदालत श्री नरेन्द्र शर्मा, उप-मण्डलाधिकारी (ना0), अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री हरी कृष्ण पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी नलोह, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री हरी कृष्ण पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी नलोह, ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके लड़के अनमोल का जन्म दिनांक 2-11-2002 को गांव नलोह में हुआ था परन्तु अज्ञानतावश वह उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत पोलिगां पुरोहितां के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका है ।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 10-2-2003 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा स्थित अम्ब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है । निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र श्री हरी कृष्ण पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी ।

आज दिनांक 8-1-2003 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर । नरेन्द्र शर्मा,
उप-मण्डलाधिकारी (ना0),
अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0) ।

ब अदालत श्री नरेन्द्र शर्मा, उप-मण्डलाधिकारी (ना0), अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)

श्री संसार चन्द पुत्र श्री दया राम, निवासी भद्रकाली, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0) ।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री संसार चन्द पुत्र श्री दया राम, निवासी भद्रकाली ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके लड़के राकेश कुमार का जन्म दिनांक 28-4-2001 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश वह उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत भद्रकाली के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका है ।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 10-2-2003 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा स्थित अम्ब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है । निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र श्री संसार चन्द पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी ।

आज दिनांक 8-1-2003 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर । नरेन्द्र शर्मा,
उप-मण्डलाधिकारी (ना0),
अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0) ।

ब अदालत श्री नरेन्द्र शर्मा, उप-मण्डलाधिकारी (ना0), तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री सतपाल सिंह जसवाल पुत्र स्व0 श्री चैन सिंह, निवासी गांव सपौरी, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री सतपाल सिंह जसवाल पुत्र स्व0 श्री चैन सिंह, निवासी गांव सपौरी ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके लड़के शुभम जसवाल का जन्म दिनांक 30-3-1997 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश वह उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत सपौरी के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका है ।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 10-2-2003 को प्रातः 10 बजे इस अदालत हजा स्थित अम्ब में वकालतन या असालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने

पर प्रार्थना-पत्र श्री सतपाल सिंह जसवाल पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी ।

आज दिनांक 8-1-2003 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर । नरेन्द्र शर्मा,
उप-मण्डलाधिकारी (ना0),
अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ।

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा : मृत्यु तिथि प्रमाण-पत्र ।

भजन सिंह बनाम आम जनता, वासी सनोली

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता ।

श्री भजन सिंह पुत्र श्री तेजा राम, निवासी गांव सनोली, तहसील व जिला ऊना ने इस न्यायालय में दरख्वास्त गुजारी है कि उसके भाई सवर्ण सिंह पुत्र तेजा राम की मृत्यु किसी कारणवश ग्राम पंचायत सनोली के मृत्यु रजिस्टर में दर्ज न करवाई जा सकी है, जोकि अब दर्ज करवाई जाये । प्रार्थी ने मृतक की मृत्यु तिथि 22-10-2001 बताई है तथा मृत्यु का स्थान सनोली बताया है ।

अतः इस नोटिस के माध्यम से समस्त आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मृतक की मृत्यु तिथि दर्ज होने में कोई आपत्ति एवं उजर हो तो वह इस नोटिस के प्रकाशन होने के उपरान्त एक माह के अन्दर-अन्दर असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थी द्वारा बताई गई मृत्यु तिथि दर्ज करने के निर्देश जारी कर दिये जायेंगे तथा बाद में कोई उजर काबले समायत न होगा ।

आज दिनांक 7-1-2003 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ ।

मोहर । हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ।

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा : जन्म तिथि प्रमाण-पत्र ।

विशन दास बनाम वासी कोटला कलां

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता ।

श्री विशन दास पुत्र श्री आत्मा राम, निवासी गांव कोटला कलां, तहसील व जिला ऊना ने इस न्यायालय में दरख्वास्त गुजारी है कि उसके पुत्र विशाल कुमार का जन्म तिथि पंचायत रजिस्टर में गलती से दर्ज न करवाया जा सका है अतः अब दर्ज करवाया जाए । उसके उपरोक्त पुत्र का जन्म तिथि 7-9-1998 है तथा जन्म स्थान कोटला कलां है ।

अतः इस नोटिस के माध्यम से समस्त आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज होने में कोई उजर/एतराज है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन होने के पश्चात् एक माह के अन्दर-अन्दर असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर वांछित प्रमाण-पत्र जारी करने के निर्देश सम्बन्धित कार्यालय को दे दिए जाएंगे ।

आज दिनांक 7-1-2003 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर । हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) ।

In the Court of Sh. Rajeev Bhardwaj, Sub Judge 1st Class, Court No. (I) Una, Tehsil and District Una (H. P.)

Civil Suit No. 737/95, RBT No. 322/98
Next date of hearing 7-2-2003

Harkishan Singh & others *Vs.* Hans Raj & others.

Suit for separate possession.

Notice to:—

2. Ram Singh, 3. Harbhajan Singh, 4. Mohinder Singh, 5. Sarbjit Singh sons of Shri Dev Raj s/o Shri Girdhari Lal, Caste Saini, r/o village Una, Mohalla Galua, Tehsil and Distt. Una (H. P.) at present r/o village Bhalari, Teh. Anandpur Sahib, Distt. Ropar (Pb.). 9. Ram Shakti son, 11. Rajinder Prashad d/o Shri Uttam Chand, 15. Smt. Satya Devi wd/o Shri Om Parkash s/o Sh. Uttam Chand, 16. Raj Kumar, 17. Sukh Dev sons, 18. Meena Kumari, 19. Sandesh Kumari, 20 Sarita Kumari daughters Shri Om Parkash s/o Shri Uttam Chand s/o Shri Ram Ditta, Caste Saini (Defts. No. 16 to 20 being minors through their mother Smt. Satya Devi, Deft. No. 15), all caste Saini, r/o Una, Mohalla Galua, Tehsil and Distt. Una, at present r/o village Bhanam, Tehsil Anandpur Sahib, District Ropar (Pb.) .. *Defendants.*

Whereas in the above noted case it has been proved to the satisfaction of the Court that above named defendants are avoiding service of summons and cannot be served in the ordinary way. Hence, this Proclamation is hereby issued against them to appear in this court on 7-2-2003 at 10 A. M. to defend the case, personally or through an authorised agent or pleader failing which *ex parte* proceedings will be teken against them.

Given under my hand and the seal of the Court, this 10th day of January, 2003.

Seal. RAJEEV BHARDWAJ,
Sub-Judge 1st Class,
Court No. (I) Una.
Tehsil & District Una (H. P.).

नाम परिवर्तन

मैं थुडू राम सुपुत्र श्री मनसा राम, गांव व डाकघर इन्दपुर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा ने अपना नाम बदलकर बलविन्द्र सिंह रख लिया है । भविष्य में मुझे थुडू राम की बजाए बलविन्द्र सिंह के नाम से जाना जाए ।

थुडू राम,
मार्फत श्री मेहर चन्द सूद,
मकान नं0 333, सिविल बाजार,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा,
पिन-176 215.

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा जीपर्क :

सर्व श्रीमती राधा देवी पुत्री व पुरनू विधवा खिमे राम, निवासी मासड़, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ..प्रार्थी ।

बनाम

श्री हरी सिंह पुत्र श्री खिमे राम, निवासी मासड़, कमला पुत्री सवर्णू, निवासी बनौल, दौलत राम, नीलमणी, टेक चन्द पुत्र इन्द्र सिंह, विद्रा पत्नी राजू राम, पाँपी विधवा इन्द्र सिंह, मुन्शी राम, बाला राम

पुत्र बसन्ता, भागदेई विधवा बसन्ना, पुष्पा विधवा व तिलक राज, अश्वनी कुमार पुत्र गोविन्द, निवासी स्प्रेई तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ..प्रत्यार्थीगण ।

प्रार्थना-पत्र तकसीम अधीन धारा 123 हिमाचल प्रदेश भू0 राजस्व अधिनियम भूमि मुन्दर्जा खाता खतौनी नम्बर 7/11 किता 1, तादादी 0-8-18 बीघा स्थित मुहाल मासड़/438.

उपरोक्त मुकद्दमा में फरीक दोयम को इस न्यायालय द्वारा कई बार समन जारी किये गये परन्तु उनको समनों की तामील नहीं हो रही है अब न्यायालय को विश्वास हो चुका है कि उनको साधारण तरीके से समनों की तामील होना सम्भव न है । अतः उपरोक्त प्रत्यार्थियों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त तकसीम में उन्हें कोई एतराज हो तो वे दिनांक 7-2-2003 को प्रातः 10 बजे असालतन या वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें अन्यथा हाजिर न होने की सूरत में कार्यवाही एक पक्षीय अमल में लाई जायेगी ।

आज दिनांक 22-11-02 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर । हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता,
प्रथम श्रेणी, सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा शीर्षक :

सर्व श्रीमती राधा देवी पुत्री व पुरनू विधवा खिमे राम, निवासी गण मासड़, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ..प्रार्थी ।

बनाम

श्री हरी सिंह पुत्र श्री खिमे राम, निवासी मासड़, कमला देवी पुत्री सवर्णू, सर्व श्री दिनेश, पवनेश पुत्र जितेन्द्रा, पुत्री व मथरा देवी विधवा रामा वासल, देवेन्द्र पाल पुत्र दया वासल, निवासी मोती बाजार, मण्डी जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ..प्रत्यार्थीगण ।

प्रार्थना-पत्र तकसीम अधीन धारा 123 हिमाचल प्रदेश राजस्व अधिनियम भूमि मुन्दर्जा खाता खतौनी नम्बर 7/10, किता 9 रकबा तादादी 6-12-4 बीघा स्थित मुहाल मासड़/438.

उपरोक्त मुकद्दमा में फरीकदोयम को इस न्यायालय द्वारा कई बार समन जारी किये गये । परन्तु उनको समनो की तामील नहीं हो रही है। अब न्यायालय को विश्वास हो चुका है कि उनको साधारण तरीके से समनों की तामील होना सम्भव न है। अतः उपरोक्त प्रत्यार्थियों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त तकसीम में उन्हें कोई एतराज हो तो वह दिनांक 7-2-2003 को प्रातः 10 बजे असालतन या वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें अन्यथा हाजर न होने की सूरत में कार्यवाही एक पक्षीय अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 22-11-02 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर । हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता,
प्रथम श्रेणी, सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ।

ब अदालत सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा शीर्षक :

सर्व श्रीमती राधा देवी पुत्री व पुरनू विधवा खिमे राम, निवासी मासड़, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ..प्रार्थी ।

बनाम

श्री हरी सिंह पुत्र खिमे राम, निवासी मासड़, कमला देवी पुत्री स्वर्णू, निवासी बनौल, जनक राज पुत्र कमा देवी, मन्जू पुत्री शेर सिंह, राम लाल चमन पुत्र, शांति, मलका संध्या पुत्री हिरा सिंह, हरी सिंह, मुन्ब राम पुत्र भूरि सिंह, धर्म चन्द, गंगू, मेहर चन्द पुत्रगण बेली राम, मुन्शी राम, बाला राम पुत्र भाग देई विधवा बसंता, तिलक राज अश्वनी पुत्र व श्रीमती पुष्पा विधवा गोविन्द निवासी स्प्रेई, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ..प्रत्यार्थीगण ।

प्रार्थना-पत्र तकसीम अधीन धारा 123 हि0 प्र0 भू0-राजस्व अधिनियम भूमि मुन्दर्जा खाता खतौनी नम्बर 6/7, किता 8, तादादी 9-5-5 बीघा स्थित मुहाल मासड़/438.

उपरोक्त मुकद्दमा में फरीक दोयम को इस न्यायालय द्वारा कई बार समन जारी किये गये परन्तु उनको समनों की तामील नहीं हो रही है । अब न्यायालय को विश्वास हो चुका है कि उनको साधारण तरीके से समनों की तामील होना सम्भव न है अतः फरीक दोयम उपरोक्त को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त तकसीम होने में उन्हें कोई एतराज हो तो वे असालतन या वकालतन दिनांक 7-2-2003 को उपस्थित होकर पेश करें अन्यथा हाजर न होने की सूरत में कार्यवाही एक-पक्षीय अमल में लाई जायेगी ।

आज दिनांक 22-11-2002 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर । हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता,
प्रथम श्रेणी सदर,
जिला मण्डी (हि0 प्र0) ।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

श्रीमती पूरनू विधवा खिमे राम, निवासी मासड़, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ..प्रार्थी ।

बनाम

श्री हरी सिंह पुत्र श्री खिमे राम, निवासी स्प्रेई, कमला देवी पुत्री स्वर्णू, निवासी बनौल, निवासी मासड़, तहसील सदर, जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश ..प्रत्यार्थीगण ।

प्रार्थना-पत्र तकसीम धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम भूमि मन्दर्जा खाता खतौनी नम्बर 4/5, किता 2, तादादी 12-19-8 बीघा, स्थित मुहाल मासड़/438.

उपरोक्त मुकद्दमा में फरीक दोयम को इस न्यायालय द्वारा कई बार समन जारी किए गए, परन्तु उनको समनों की तामील नहीं हो पा रही है । अब न्यायालय को विश्वास हो चुका है कि उनको साधारण तरीके से समनों को तामील होना सम्भव न है ।

अतः उपरोक्त प्रत्यार्थियों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त तकसीम में उन्हें कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 7-2-2003 को प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित हो कर पेश करें। अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में कार्यवाही एक पक्षीय अमल में लाई जायेगी ।

आज दिनांक 22-11-2002 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत मे जारी हुआ ।

मोहर । हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी
तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मुकद्दमा शीर्षक :

सर्व श्रीमती राधा पुत्री व पुरनू विधवा खिमे राम, निवासी मासड, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) .. पार्टी ।

बनाम

श्री हरि सिंह पुत्र श्री खिमे राम, निवासी मासड़, श्रीमती कमला देवी पुत्री स्वर्गू, निवासी बनौल व सरकार (हि0 प्र0) .. प्रत्यार्थी ।

प्रार्थना-पत्र तकसीम अधीन धारा 123 (हि0 प्र0) भू-राजस्व अधिनियम भूमि मुन्दर्जा खाता खतौनी नम्बर 5/6, किल्ला 9, रकबा तादादी 2-17-2 बीघा स्थित मुहाल मासड़ 438.

उपरोक्त मुकद्दमा में फरीक दोयम को इस न्यायालय द्वारा कई बार समन जारी किए गए परन्तु उनको समनों की तामील नहीं हो रही है । अब न्यायालय को विश्वास हो चुका है कि उनको साधारण तरीका से समनों की तामील होना सम्भव न है ।

अतः उपरोक्त प्रत्यार्थियों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त तकसीम में उन्हें कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 7-2-2003 को प्रातः 10.00 बजे पेश करें अन्यथा हाजर न होने की सूरत में कार्यवाही एक पक्षीय अमल में लाई जाएगी ।

आज दिनांक 22-11-2002 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर । हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ।

ब अदालत श्री रजनेश कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, कण्डाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

श्री राम स्वरूप पुत्र श्री नित्या नन्द, निवासी ग्राम पलहेच, तहसील कण्डाघाट, जिला सोलन (हि0 प्र0) .. प्रार्थी ।

बनाम

सर्व साधारण .. उत्तरवादी ।

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री राम स्वरूप पुत्र श्री नित्या नन्द, निवासी ग्राम पलहेच, तहसील कण्डाघाट, जिला सोलन ने इस न्यायालय में शपथपत्र सहित प्रार्थना-पत्र दिया है उसकी स्वयं की जन्म तिथि 2-2-1972 है, तथा उसका जन्म पलहेच, गांव में हुआ है लेकिन जन्म तिथि समय पर ग्राम पंचायत मझी के अभिलेख में दर्ज नहीं करवाई है अब दर्ज करने के आदेश जारी किये जावें ।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति/रिश्तेदार को इस बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 12-2-2003 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपने एतराज पेश कर सकता है अन्यथा कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जावेगी । तथा उपरोक्त व्यक्ति का नाम व जन्म तिथि सम्बन्धित पंचायत के रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु में दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे ।

आज दिनांक 28-12-2002 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर । रजनेश कुमार,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कण्डाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश ।

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)

किस्म मुकद्दमा : जन्म तिथि प्रमाण-पत्र ।

रमेश चन्द बनाम आम जनता, गुजरेड़ा

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता ।

श्री रमेश चन्द पुत्र श्री मिलखी राम, निवासी गांव गुजरेड़ा, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र इस बिना पर गुजारा है कि उसके पुत्र अंकित जसवाल का नाम व जन्म पंचायत रजिस्टर में गलती से दर्ज न करवाया जा सका है और अब दर्ज करवाया जावे । उसके उपरोक्त पुत्र की जन्म तिथि 22-12-2000 है तथा बच्चे का जन्म स्थान गुजरेड़ा है।

अतः इस नोटिस के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज होने में कोई उजर या एतराज हो तो वह इस नोटिस के प्रकाशन होने के पश्चात् एक माह के अन्दर (दिनांक 5-2-2003) को असालतन या वकालतन इस न्यायालय में हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर वांछित प्रमाण-पत्र जारी करने के निर्देश सम्बन्धित कार्यालय को दे दिए जायेंगे ।

आज दिनांक 7-12-2002 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर । हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बड़सर, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ।

भाग 6—भारतीय राजपत्र इत्यादि में से पुनः प्रकाशन

-शून्य-

भाग 7—भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की वैधानिक अधिसूचनाएं तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी अधिसूचनाएं

-शून्य-

अनुपूरक

-शून्य-

निम्नलक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित